उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 01 फाल्गुन, शक संवत्, 1946

(दिनांक : 20 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)

(समय : अपराह्न 12:30 बजे)।

3. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

4. निधन के निदेश।

5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2024 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन पर निष्पादन लेखा परीक्षक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (प्रतिवेदन संख्या 03 वर्ष 2024) को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (प्रतिवेदन संख्या 04 वर्ष 2024) को सदन के पटल पर रखेंगे।

9. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिकरात्मक वनारोपड़ निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर निष्पादक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (प्रतिवेदन संख्या 05 वर्ष 2024) को सदन के पटल पर रखेंगे।

10. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (प्रतिवेदन संख्याः 06 वर्ष 2024) को सदन के पटल पर रखेंगे।

11. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद- 323 (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) को सदन के पटल पर रखेंगे।

12. मुख्यमंत्री, आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड वर्ष, 2024-25 को सदन के पटल पर रखेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

13. सभापति, प्रवर समिति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

14. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

15. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

16. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

17. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

18. खेल मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

19. खेल मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

21. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

23. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

24. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

25. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

26. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

27. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

28. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

29. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

30. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

31. मुख्यमंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-05 दिनांक 15 फरवरी, 2024 द्वारा "जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 को संशोधित करते हुए जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024, मा0 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को राज्य के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत किये जाने की अपेक्षा के क्रम में संविधान के अनुच्छेद-252 के अंतर्गत संबंधित अधिनियम अंगीकृत करने हेतु राज्य विधानमण्डल में संकल्प प्रस्ताव पारित किये जाने के संबंध में।

(2)- **प्रस्तावनाः-**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 अन्य बातों के साथ, कतिपय उपबन्ध किये गये हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान सभा से पारित कराकर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-05, दिनांक 15.02.2024 के अनुसार राज्य में लागू किये जाने हैं, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

I. **<u>उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति से छूटः</u>** एक्ट के अनुसार, किसी भी उद्योग या ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए एसपीसीबी की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, जो किसी जल निकाय, सीवर या भूमि में सीवेज को छोड़ने की संभावना रखता है। बिल निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार, सीपीसीबी के परामर्श से, कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्राप्त करने से छूट दे सकती है। बिल यह भी जोड़ता है कि केंद्र सरकार एसपीसीबी द्वारा दी गई सहमति को देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है। एक्ट के तहत, एसपीसीबी से ऐसी सहमति प्राप्त किए बिना उद्योग स्थापित करना और संचालित करना छः साल के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। बिल इसे बरकरार रखता है। यह निर्धारित करने में उपयोग किये जाने वाले निगरानी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने पर भी दंड का प्रावधान करता है कि क्या कोई उद्योग या ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा सकता है। जुर्माना 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये के बीच होगा।

II. **<u>राज्य बोर्ड के अध्यक्षः</u>** अधिनियम के तहत, एसपीसीबी के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार नामांकन के तरीके और अध्यक्ष की सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी।

III. **प्रदूषणकारी पदार्थों का निर्वहन**: अधिनियम के तहत, एसपीसीबी किसी भी ऐसी गतिविधि पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश जारी कर सकता है, जिससे जल निकायों में हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ का निर्वहन हो रहा है। अधिनियम जल निकायों या भूमि पर प्रदूषणकारी पदार्थों के संबंध में मानकों (एसपीसीबी द्वारा निर्धारित) के उल्लंघन को भी प्रतिबंधित करता है, कुछ छूटों को छोड़कर। छूटों में भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी जलधारा के किनारे गैर-प्रदूषणकारी सामग्री डालना शामिल है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डेढ़ साल से लेकर छह साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। विधेयक इस सजा को हटाता है और इसके बजाय 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाता है।

IV. **अन्य अपराधों के लिए दंड**: अधिनियम के तहत, जिस अपराध के लिए सजा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है, उसके लिए तीन महीने तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विधेयक में कारावास को दंड के रूप में हटा दिया गया है और 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये के बीच जुर्माना निर्धारित किया गया है। अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना न भरने पर तीन साल तक का कारावास या लगाए गए जुर्माने की राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

V. **दंड निर्धारित करने के लिए निर्णायक अधिकारी**: विधेयक केंद्र सरकार को अधिनियम के अंतर्गत दंड निर्धारित करने के लिए निर्णायक अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है। अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव के स्तर का होना चाहिए। निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष की जा सकती है, जिसके लिए लगाए गए जुर्माने का 10% जमा करना होगा। निर्णायक अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा।

VI. **अपराधों का संज्ञान**: अधिनियम के अनुसार, यदि सीपीसीबी या एसपीसीबी द्वारा शिकायत की जाती है या कोई व्यक्ति बोर्ड को शिकायत की सूचना देता है तो न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि यदि शिकायत निर्णायक अधिकारी द्वारा की जाती है तो भी संज्ञान लिया जा सकता है।

VII. **सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध**: अधिनियम के तहत, किसी विभाग के प्रमुख को सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दोषी माना जाएगा, बशर्ते कि वे साबित करें कि ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए उचित सावधानी बरती गई थी। विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई विभाग अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग के प्रमुख को अपने मूल वेतन के एक महीने के बराबर जुर्माना देना होगा।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(3)- **उद्देश्यः-** चूंकि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार " जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024, द्वारा संशोधन अधिनियम, प्रथमतः सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा और यह ऐसे अन्य राज्यों पर भी लागू होगा जा संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के साथ पठित उसके खंड (2) के अधीन अपनी विधान सभाओं और विधान परिषदों (यदि कोई हो) में संकल्प पारित करके इस अधिनियम को ऐसे अपनाए जाने की तारीख से अपनाएंगे। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में व्यापार करने में आसानी लाने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मूल अधिनियम "जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974" (1974 का 6) के प्रावधानों को अपराधमुक्त करता है। केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को राज्य के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत किये जाने की अपेक्षा के क्रम में उक्त संशोधन अधिनियम को इस सदन में संकल्प पारित करके राज्य में अंगीकृत किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024, को राज्य के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत किये जाने के संकल्प प्रस्ताव को मा0 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए अनुमोदन चाहता हूँ।

32. श्री विनोद चमोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण :-

"यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी "ग")

33. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

34. "जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के बांगखाला, नत्थनपुर, हर्रावाला, मियावाला एवं बालावाला में भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने पर लगी रोक के सम्बन्ध में", श्री प्रीतम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर, माननीय आवास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

35. "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट के अन्तर्गत बरसाती नाला, जो कि शास्त्री नगर से होकर गुजरता है, की जर्जर दीवार के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती सविता कपूर, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर, माननीय मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 19 फरवरी, 2025

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।

प्रथम सत्र, 2025
का प्रथम गुरुवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरुवार,
01 फाल्गुन, शक संवत्, 1946
(दिनांक : 20 फरवरी, 2025)

नत्थी 'क'
अल्पसूचित प्रश्न

श्री हरीश सिंह धामी
07.02.2025

** क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं टैक्नीशियनों की अत्यन्त कमी होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रीय जनता को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पर्वतीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में तत्काल चिकित्सकों एवं टैक्नीशियनों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री विरेन्द्र कुमार
07.02.2025

**क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के निजी क्षेत्रों में संचालित अनेकों विद्यालयों में प्रतिवर्ष अनावश्यक रुप से अत्यधिक फीस वृद्धि से अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है, जिस कारण विवश होकर गरीब बच्चों एवं मध्यम वर्गीय बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अत्यधिक मात्रा में हो रही फीस वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस नीति बनायी जा रही है? यदि हां, तो वह नीति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयी शिक्षा
(बेसिक/माध्यमिक)

नत्थी 'ख'
तारांकित प्रश्न

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

श्री विरेन्द्र कुमार
13.12.2024

***01.** क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में वर्ष, 2006 से अब तक बी0पी0एड0/सी0पी0एड0/डी0पी0एड0/योगा शिक्षक, प्रशिक्षित डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार नियुक्ति पाने वाले प्रशिक्षित बी0पी0एड0/सी0पी0एड0/डी0पी0एड0/योगा शिक्षक डिग्री धारकों की जिलेवार सूची उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो इतने लम्बे समय से प्रशिक्षित बेरोजगारों को किन कारणों के तहत नियुक्ति नहीं दी गयी है और क्या सरकार इस बात से भी भिज्ञ है कि नियुक्ति प्रक्रिया बंद होने से प्रशिक्षित बेरोजगार आयु सीमा अधिक होने की स्थिति में रोजगार पाने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या सरकार बी0पी0एड0/सी0पी0एड0/डी0पी0एड0/योगा शिक्षक, डिग्री धारकों को नियुक्ति दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक)

श्री विरेन्द्र कुमार
13.12.2024

***02.** क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि सहकारी बैंकों तथा उनके नियंत्रणाधीन बैंकों द्वारा गलत तरीके से अपात्र लोगों को ऋण बांटा जा रहा है, जिस कारण सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ पात्र कृषकों तक नहीं पहुंच पा रहा है और किसानों को फसल संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों से ब्याज पर पैसा लेना पड़ रहा है, जो कि अत्यधिक महंगा है? क्या सरकार अपात्र लोगों को ऋण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता

केन्द्रीय विषय के आधार पर निरस्त

श्री बृजभूषण गैरोला
16.12.2024

***03.** क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में बन रही दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो रहे हैं? क्या यह भी सत्य है कि उत्तराखण्ड की कई दवा फैक्ट्री में घटिया किस्म की दवा बनाने की शिकायतें आ रही हैं और कई नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री भी पकड़ी गयी है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में जो दवाईयां दी जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं की जांच और सैंपलिंग की जाती है? यदि हां, तो अभी तक कितने अस्पतालों के दवाइयों की जांच और सैंपलिंग की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री खुशाल सिंह अधिकारी 23.12.2024	***04**. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में स्थित राजकीय सामुदायिक केन्द्रों में मरीजों की संख्या के अनुपात में लगातार चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिस कारण मरीजों को चिकित्सा सुविधा हेतु बाहर जाना पड़ता है? क्या यह सत्य है कि जनपद चम्पावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटी एवं बाराकोट में मरीजों की अत्यधिक संख्या होने के कारण मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है? तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटी व बाराकोट को उच्चीकृत कर उप जिला चिकित्सालय बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री महेश जीना 23.12.2024	***05**. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में बैचरल ऑफ फाईन आर्टस/पैंटिग मूर्तिकला की डिग्री के बाद भी बी0एड0 को अनिवार्य कर दिया गया है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अन्य प्रदेशों में बैचलर आफ फाईन आर्टस/पैंटिग मूर्तिकला की डिग्री के बाद बी0एड0 अनिवार्य नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों की भांति बैचरल ऑफ फाईन आर्टस/पैंटिग मूर्तिकला की डिग्री को शैक्षणिक कार्य हेतु मान्यता प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री महेश जीना 30.12.2024	***06**. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याल्दे स्थापित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि स्वास्थ्य केन्द्र का भवन एवं कर्मचारियों के कक्ष अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, और रहने योग्य नहीं है तथा स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जीर्ण-शीर्ण होने से कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है? क्या सरकार जनहित में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याल्दे के जीर्ण-शीर्ण भवन का नव निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री महेश जीना 01.01.2025	*07. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कितनी छात्र संख्या पर एक शिक्षक का मानक तय किया गया है तथा प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक नियुक्ति किये गये हैं? क्या मंत्री जी ऐसे विद्यालयों का विवरण उपलब्ध करायेंगे, जिसमें छात्र संख्या-20 से कम और 02(दो) शिक्षक नियुक्त है? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक)
श्री खुशाल सिंह अधिकारी 02.01.2025	*08. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थापित कितने महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष, 2024-25 में नये विषयों का पाठ्यक्रम संचालित किये गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद चम्पावत के राजकीय महाविद्यालय, पाटी में नये विषयों का पाठ्यक्रम संचालित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09.01.2025	*09. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अन्तर्मण्डलीय शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु विभाग द्वारा आवेदन मांगे गये थे? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे शिक्षकों से लगातार दो बार आवेदन मांगे जाने के बावजूद भी इनका स्थानान्तरण अभी तक नहीं किया गया है? क्या सरकार आवेदन करने वाले ऐसे शिक्षकों का स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक)
श्री दलीप सिंह रावत 20.01.2025	*10. क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के उत्थान हेतु कोई नीति बनाई गयी है? यदि हां, तो वह नीति क्या है? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	संस्कृत शिक्षा

श्रीमती ममता राकेश 05.02.2025	*11. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान धन के अभाव में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य कर्मियों के वेतन से नियमित अंशदान की कटौती के बावजूद धन की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान मद में धन उपलब्ध कराकर लम्बित बिलों का तुरन्त भुगतान किये जाने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री फुरकान अहमद 06.02.2025	*12. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2024 के उपवेशन में नियम-53 के अन्तर्गत दिये गये विभागीय वक्तव्य के सन्दर्भ में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में गुलाब शाहपीर राजकीय कन्या इण्टर, रामपुर मुस्तकम, रुड़की के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण विभाग द्वारा डी०पी०आर० तैयार करवा ली गई है? क्या यह सत्य है कि विगत् छः माह से उक्त कालेज के भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है? क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री सुरेश गढ़िया, 16.12.2024	*13. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने एवं पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा संचालित देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में कितने युवाओं को प्रशिक्षित एवं रोजगार प्रदान किया गया है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के साथ विधान सभा क्षेत्र कपकोट में देवभूमि उद्यमिता योजना एवं कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी है, का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश 13.12.2024	01. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 के पदों पर चयन प्रक्रिया का कार्य अलंकित लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त ऐजेन्सी द्वारा सामान्य एस0टी0 वर्ग हेतु स्नातक, परास्नातक स्तर अंकों में 55 प्रतिशत का प्राविधान किया है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त विज्ञप्ति में पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार एस0सी0 वर्ग हेतु शैक्षिक व अन्य योग्यताओं में 05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का प्राविधान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विज्ञप्ति में संशोधन कर समाज के पिछड़े वर्ग के साथ न्याय करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक)
श्रीमती ममता राकेश 13.12.2024	02. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि प्रदेश में भारत सरकार के अधिनियम-2016 के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चों को सरकारी/गैर सरकारी प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश देने हेतु शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले कितने सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय में कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया है? क्या सरकार उपरोक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक)
श्रीमती ममता राकेश 13.12.2024	03. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में किन-किन स्थानों में मेडिकल कॉलेज खोले गये? क्या यह सत्य है कि शासन के पत्र संख्या-1647/XXVII/2014/05 (मेडिकल कॉलेज)/2014, दिनांक 22.05.2014 के अनुसार जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो उक्त मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रगति क्या है तथा कालेज कब तक स्थापित हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा शिक्षा

इंजी0 रवि बहादुर 13.12.2024	04. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड चलाने का क्या प्राविधान है? क्या आयुष्मान कार्ड द्वारा निजी चिकित्सालय में प्रसव कराया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री विक्रम सिंह नेगी 13.12.2024	05. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में ऑप्टोमैट्रिस्टों की नियुक्ति डिप्लोमा के आधार पर की जाती थी, किन्तु वर्ष, 2021 के बाद शासन द्वारा ऑप्टोमैट्री में डिग्री धारकों को ही ऑप्टोमैट्रिस्ट के पदों पर नियुक्ति दिये जाने का प्राविधान किया गया है? क्या सरकार ऑप्टोमैट्री में डिप्लोमाधारी, जिनकी संख्या लगभग 600 से अधिक है, की नियुक्ति डिप्लोमा के आधार पर करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री सुरेश गढ़िया, 16.12.2024	06. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक) मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय, कपकोट में लगभग 300 छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं, जो कि प्रदेश के सर्वाधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा तय मानकों (300 छात्र-छात्राओं) के अनुसार विद्यालय में पूर्ण व्यवस्थित रुप से कक्षा-कक्षों एवं भवनों, चाहरदीवारी, कम्प्यूटर कक्ष, शौचालय का निर्माण करने के साथ ही आधुनिक स्मार्ट क्लास के लिए कोई योजना बनायी है? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक)
श्री सुरेश गढ़िया, 16.12.2024	07. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपकोट का उच्चीकरण उप जिला चिकित्सालय के रुप में कब तक किया जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त चिकित्सालय में सृजित विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्री रोग, बेहोशी, सर्जन) के पदों पर तथा विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट, काण्डा में ए.एन.एम. के रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री बृजभूषण गैरोला 17.12.2024	08. क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के जिला सहकारी बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारी काफी लम्बे समय से वृद्धावस्था में जीवन यापन हेतु सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजना (पेंशन) की मांग करते आ रहे हैं? क्या यह सत्य है कि निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्रांक: सी-112/अधि0/वेतनमान/16-17, दिनांक 05.10.16 के द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सुविधा का लाभ न मिलने के कारण आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीवन यापन हेतु आदेश हुए थे? यदि हां तो क्या सरकार उत्तराखण्ड के जिला सहकारी बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन यापन हेतु सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजना की स्वीकृति दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	सहकारिता
श्री खुशाल सिंह अधिकारी 23.12.2024	09. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थापित अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कॉलेजों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज, चौड़ामेहता में कितने विषय विशेषज्ञ शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है और कितने पद रिक्त है? क्या सरकार व्यापक जनहित में रिक्त पदों के सापेक्ष विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री खुशाल सिंह अधिकारी 23.12.2024	10. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में स्थित विद्यालयों में प्रधानाचार्य के कितने पद रिक्त हैं? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों के कारण शैक्षणिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री प्रीतम सिंह पंवार 24.12.2024	11. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 क्यारदा, रा0प्रा0वि0 तिखोन, रा0प्रा0वि0 इडियान (थौलधार) तथा रा0प्रा0वि0 सुमनक्यारी, रा0प्रा0वि0 सावली (जौनपुर) के भवन मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के आगणन/प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त विद्यालयों के भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों के आगणन प्रस्ताव स्वीकृत कर मरम्मत/पुनर्निर्माण कब तक करवा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक)

श्री महेश जीना 31.12.2024	12. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वर्ष, 2024-25 में आतिथि तक कुल कितने प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण सल्ट से अन्यत्र स्थानों पर किया गया है और उनके स्थानों पर कुल कितने प्रतिस्थानी आये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त किये गये स्थानान्तरणों में से पूर्व में जो रिक्तियां थी, उनके स्थान पर नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री महेश जीना 31.12.2024	13. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, गुमटी में इण्टरमीडिएट स्तर पर हिन्दी और समाज शास्त्र विषय के पद सृजित नहीं हैं, जिस कारण विद्यार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार छात्रहित में राजकीय इण्टर कालेज गुमटी में हिन्दी और समाज शास्त्र विषय के पद सृजित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री महेश जीना 01.01.2025	14. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थापित कुल राजकीय इण्टर कालेजों का जिलेवार विवरण उपलब्ध करायेंगे? क्या मंत्री जी इन राजकीय इण्टर कालेजों में नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों का भी कालेजवार विवरण उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री महेश जीना 02.01.2025	15. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछोड़ एवं भौनखाल स्थापित हैं? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि स्थानीय जनता लम्बे समय से उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण की मांग कर रही है? क्या सरकार जनहित में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछोड़ एवं भौनखाल का उच्चीकरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री महेश जीना 02.01.2025	16. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराईखेत स्थापित है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है? क्या सरकार जनहित में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराईखेत के जीर्ण-शीर्ण भवन का नव निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री महेश जीना 02.01.2025	17. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देघाट स्थापित है? क्या यह भी सत्य है कि राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, देघाट में ट्रॉजिस्ट हॉस्टल के निर्माण की घोषणा की थी, किन्तु आतिथि तक हॉस्टल का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी नहीं हो पाया है? क्या सरकार जनहित में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देघाट में ट्रॉजिस्ट हॉस्टल का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 06.01.2025	18. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0का0 क्यारी, वि0ख0 जौनपुर टिहरी गढ़वाल में हाईस्कूल स्तर पर संस्कृत तथा गृह विज्ञान के पद सृजित न होने तथा इण्टर मीडिएट स्तर पर विज्ञान संकाय, संस्कृत तथा गृह विज्ञान के पद सृजित न होने के कारण अध्ययनरत छात्र-छात्रायें चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाने से वंचित हो रहे हैं? क्या सरकार छात्र-छात्रा हित में रा0इ0का0 क्यारी (जौनपुर) टिहरी गढ़वाल में उक्त विषयों के पदों को सृजित कर कक्षाओं का संचालन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री प्रीतम सिंह पंवार 06.01.2025	19. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी, थत्यूड़ (जौनपुर) टिहरी गढ़वाल का कार्यालय भवन जीण-शीर्ण अवस्था में है? क्या सरकार खण्ड शिक्षा कार्यालय, थत्यूड़ के जीर्ण-शीर्ण कक्षों की मरम्मत तथा विद्युत सम्बन्धी अनुरक्षण कार्य सम्पादित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक)

श्री महेश जीना 06.01.2025	20. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्थापित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवायल में चिकित्सा संशाधनों की भारी कमी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय मात्र 20 बैड के साथ संचालित हो रहा है? क्या सरकार जनहित में सुविधाओं के अनुरुप राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवायल को 30 बैड के साथ संचालित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 07.01.2025	21. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में परिवार नियोजन के आप्रेशन कराये जाने की सुविधा न होने के कारण परिवार नियोजन करने वाले इच्छुक लोगों को देहरादून आदि स्थानों पर जाने को विवश होना पड़ रहा है? क्या सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला/महिला अस्पताल, उत्तरकाशी में तत्काल शल्यक की तैनाती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री संजय डोभाल 07.01.2025	22. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम पंचायत भड़कोट में कन्या जूनियर हाईस्कूल का भवन बहुत ही जीण-शीर्ण स्थिति में है? क्या सरकार ग्राम पंचायत भड़कोट कन्या जूनियर हाईस्कूल विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री संजय डोभाल 08.01.2025	23. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड-चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत रा0ई0का0 कामदा विद्यालय में चार कक्षाओं के अलावा 4 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु स्थानीय जनता एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है? क्या सरकार रा0इ0का0 कामदा में 4 ओर नवीन कक्षाओं का निर्माण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री संजय डोभाल 08.01.2025	24. क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री (बेसिक) अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड-नौगांव के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पटागणी का विद्यालय भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण वर्षात के समय छत से पानी टपकता है? क्या सरकार छात्र-छात्राओं के भविष्य को मध्यनजर रखते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पटागणी भवन का जीर्णोद्धार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा मंत्री (बेसिक)

श्री प्रीतम सिंह पंवार 08.01.2025	25. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय व इण्टरमीडिएट कॉलेजों में अतिरिक्त कक्षों व शौचालयों के निर्माण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के द्वारा जून, 2024 में प्रस्ताव मांगे गये थे? क्या सरकार बतायेगी कि उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई तथा कितने विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों व शौचालयों के निर्माण हेतु धनावंटन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री प्रीतम सिंह पंवार 08.01.2025	26. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के द्वारा अपने पत्रांकः मैमो0, दिनांक 25.05.2024 के माध्यम से जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव मांगे गये थे? क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रस्ताव के क्रम में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनः निर्माण के प्रस्ताव दिनांक 13 जून, 2024 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करा दिये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रस्तावों पर आतिथि तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री संजय डोभाल 09.01.2025	27. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़कोट में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है? क्या सरकार इन जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री संजय डोभाल 09.01.2025	28. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, बड़ेथी धरासू में 2 कक्ष ही कक्षा-कक्ष होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार रा0इ0का0, बेड़थी धरासू में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)

श्री संजय डोभाल 10.01.2025	29. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन इन्क्लेव, देहरादून द्वारा माननीय विधायक गणों से अपनी-अपनी विधान सभा में स्थित जीर्ण-शीर्ण/कलस्टर/भवनहीन विद्यालयों की सूची मांगी गयी थी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मांगी गयी सूची पर सरकार द्वारा किन-किन विद्यालयों को भवन निर्माण, मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्षाओं के लिए चयनित किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बंधी सम्पूर्ण विवरण सदन पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री संजय डोभाल 10.01.2025	30. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में छात्र-छात्राओं के द्वारा एम0ए0/एम0एस0सी0 प्रशिक्षण हेतु कक्षाओं के संचालन एवं बी0एड0, बी0कॉम0/एम0कॉम0 कोर्स संचालित हेतु लम्बे समय से मांग की जा रही है? क्या सरकार महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़ में एम0ए0/एम0एस0सी0 प्रशिक्षण हेतु कक्षाओं के संचालन एवं बी0एड0,बी0कॉम0/एम0कॉम0 कोर्स संचालित करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री संजय डोभाल 10.01.2025	31. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, राना के छात्र-छात्राओं द्वारा विज्ञान संवर्ग विषय एवं एन0सी0सी0 प्रशिक्षण के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है? क्या सरकार राजकीय इण्टर कालेज, राना में विज्ञान संवर्ग विषय एवं एन0सी0सी0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री संजय डोभाल 10.01.2025	32. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत वर्ष, 1965 में बने कारगिल शहीद दिनेश चन्द्र कुमांई राजकीय इण्टर कॉलेज, जोगथ का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा छत टीन की होने के कारण छत से बरसात में पानी टपकता है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण एवं छत का मरम्मत कार्य करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)

श्री संजय डोभाल 13.01.2025	33. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत ग्राम सरनौल, विकास खण्ड नौगांव निवासी श्री श्रवण सिंह चौहान, जो कि दिनांक 19 जुलाई, 2024 को जम्मू-कश्मीर के लेह लद्दाख बार्डर पर मां भारती की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गये थे, की राष्ट्रभक्ति की भावना को जागरुक रखने के लिए राजकीय इण्टर कॉलेज, सरनौर, बड़कोट का नाम बलिदानी श्री श्रवण सिंह चौहान के नाम रखे जाने के लिए स्थानीय जनता द्वारा मांग की गयी थी? क्या सरकार राजकीय इण्टर कॉलेज, सरनौल, बड़कोट का नाम बलिदानी श्री श्रवण सिंह चौहान के नाम पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्री महेश जीना 16.01.2025	34. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फार्मासिस्टों के कुल कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फार्मासिस्टों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है? क्या सरकार प्रदेश में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री महेश जीना 16.01.2025	35. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के अधिकांश भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में संचालित अशासकीय विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण होने से छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान कई बार बाहर बैठकर अध्यापन का कार्य करवाया जाता है? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत संचालित अशासकीय विद्यालयों के जीण-शीर्ण भवनों का नव निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)
श्रीमती पार्वती दास 16.01.2025	36. क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में संचालित अशासकीय विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण कक्षा-कक्षों का निर्माण करायेगी? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में संचालित अशासकीय विद्यालयों के कक्षा-कक्षों व भवनों की जीर्ण-शीर्ण होने से वर्तमान में छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान कई बार बाहर बैठकर अध्यापन कार्य करवाया जाता है? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में संचालित अशासकीय विद्यालयों के जीण-शीर्ण भवनों का नव निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)

श्री महेश जीना 20.01.2025	**37.** क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के कितने-कितने पद सृजित हैं और सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि चिकित्सालयों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण स्थानीय लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिलने से उन्हें रामनगर व काशीपुर जाना पड़ता है? क्या सरकार जनहित में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सभी चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्वास्थ्य कार्मिकों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री दलीप सिंह रावत 20.01.2025	**38.** क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे मशीन उपलब्ध हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री उमेश कुमार 21.01.2025	**39.** क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष, 2019 से वर्ष, 2024 तक कुल कितने विद्यालयों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि जारी की गयी है? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक)
श्री उमेश कुमार 22.01.2025	**40.** क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के खानपुर/लक्सर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, भूरना में कौन-कौन विषयों के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं? क्या सरकार भविष्य में उक्त महाविद्यालय में अन्य विषयों के पाठ्यक्रम भी संचालित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04.02.2025	41. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चिकित्सालयों में सुरक्षित प्रसव कराये जाने के पश्चात 21 दिवसों में जन्म प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्राधिकारी के स्तर से निर्गत किये जाते थे? क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में चिकित्सालयों में सुरक्षित प्रसव से जन्म लेने वाले शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र 02 माह बाद बनाये जा रहे हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसे नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण-पत्र पूर्व व्यवस्था के तहत 21 दिनों में जारी किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री दलीप सिंह रावत 04.02.2025	42. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जयहरीखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के रहने हेतु आवास की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में जयहरीखाल में आवास बनाने की कोई योजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक?	चिकित्सा स्वास्थ्य
डा0प्रमोद नैनवाल 05.02.2025	43. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में मुख्यमंत्री घोषणा संख्याः 109-2023 के अनुसार श्री गोविन्द सिंह माहरा नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत में एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन मशीन उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के लम्बे समय बाद भी उक्त चिकित्सालय में एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन मशीन नहीं लग पायी है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 लिए बाहर जाना पड़ रहा है? क्या सरकार जनहित में गोबिन्द सिंह माहरा नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत में एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन मशीन उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्री महेश जीना 05.02.2025 डा0 प्रमोद नैनवाल 06.02.2025	44. क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुचारु रुप से संचालित हो रही हैं? क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि विद्यालयों में कार्यरत भोजन मातायें बहुत कम मानदेय पर कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक)
श्री महेश जीना 05.02.2025 डा0 प्रमोद नैनवाल 06.02.2025	45. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में आशा कार्यकत्री वर्षो से बहुत कम मानदेय में कार्य कर रही है? क्या मंत्री जी इस बात से अवगत है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकत्रियों का अहम योगदान रहता है? क्या सरकार प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकत्रियों को सम्मानजनक मानदेय दिये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य

श्री लखपत सिंह बुटोला 05.02.2025	**46.** क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के जिला अस्पताल, गोपेश्वर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद भरे हैं और कितने रिक्त हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोशीमठ को उप-जिला चिकित्सालय बनाने की कोई कार्य योजना है? यदि हां, ता क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	चिकित्सा स्वास्थ्य
श्रीमती ममता राकेश 06.02.2025	**47.** क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य शिक्षा हरिद्वार द्वारा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून को केन्द्रीय विद्यालयों के स्थापना विषयक प्रेषित आख्या पत्रांकः 05ख नियोजन/4936-38/के0वि0/2023-24, दिनांक 21/10/23-24 के सन्दर्भ में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)

नत्थी "ग"

मानगीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री यशपाल आर्य मा0 नेता प्रतिपक्ष	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः- 1. राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था यथा चोरी, डकैती, महिला अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में हो रही लगतार बढ़ोतरी रोके जाने, 2. सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोके जाने, 3. राज्य में सशक्त भू-कानून एवं मूल निवास लागू किये जाने, 4. राज्य की विभिन्न सेवाओं एवं संवर्गों की भर्ती के समय एस0सी0, एस0टी0, एवं ओ0बी0सी0 वर्गो के लिये संविधान सम्मत आरक्षण का जो प्रतिशत रखा गया है उसका पालनप नहीं किया गया है, उसका पालन किये जाने, 5. राज्य के बेरोजगारों हेतु रोजगार सृजन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने, 6. राज्य में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की तैनाती किये जाने, 7. प्रदेश में एस0सी0, एस0टी0, एवं ओ0बी0सी0 के पदों को बैकलॉग से भरे जाने, 8. प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बदहाल स्थिति को ठीक किये जाने, 9. बाजपुर विधान सभा के अन्तर्गत 20 गांवों की भूमि के निवासियों की समस्या का निदान किये जाने, 10. बाजपुर शहर को बाढ़ से बचाने हेतु कोई दीर्घकालिक योजना लाये जाने, 11. प्रदेश में बी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने, 12. प्रदेश के अन्तर्गत राजकीय इन्टर कालेजों में प्रधानाचार्यो के रिक्त पदों को भरे जाने,

13. राज्य में डी0एल0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दिये जाने,
14. उर्जा प्रदेश में बिजली कटौती को कम किये जाने,
15. प्रदेश के अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के सभी रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने,
16. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में भीषण पेयजल संकट को दूर किये जाने
17. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में राज्य के बेरोजगारों, युवक युवतियों को 75 प्रतिशत रोजगार देने हेतु कानून बनाये जाने,
18. प्रदेश के विभिन्न विभागों में लम्बे समय से अस्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने,
19. उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने,
20. हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल किये जाने
21. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्लाक स्तर पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने,
22. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु हास्टल निर्मित किये जाने,
23. चीनी मिल बाजपुर स्थित आसवानी के आधुनिकीकरण किये जाने,
24. आदिम जनजाति बुक्सा के विकास हेतु कोई नई योजना लाये जाने,
25. विधान सभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में व्याप्त अनियमितताओं को ठीक कराये जाने,
26. चीनी मिल बाजपुर में मृतक आश्रितों को लम्बे समय से नियुक्ति दिये जाने,
27. बाजपुर स्थित परिवहन विभाग के बस अड्डे में व्याप्त अनियमितताओं को ठीक किये जाने,
28. बाजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने।

2. श्री प्रीतम सिंह

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. कालसी-सहिया मोटर मार्ग के जजरेड में पुल या टनल का निर्माण किये जाने।

2. प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने।
3. स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण किये जाने।
4. महिलाओं को सुरक्षित रूप से यात्रा, आधी रात में निकलने पर उन्हें कोई भय न हो इस सम्बन्ध में कोई नीति घोषित किये जाने।
5. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने।
6. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का ढांचा बनाये जाने।
7. ग्राम-फनार से ग्राम-भूठ मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
8. ग्राम-किस्तुड मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
9. उत्तराखण्ड की राजधानी के संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने तथा राजधानी सभा आधुनिकतम व्यवस्थाओं से युक्त हो इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति घोषित किये जाने।
10. चार-धाम यात्रा पूरे वर्ष चलाने, यात्रायें सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
11. आपदा के दौरान जो कोई क्षेत्र बर्बाद हुए वे उन्हें पुनः बसाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने।
12. आपदा के दौरान जो गांव खाली हो चुके हैं उनके पुनर्वास के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
13. नदियों की सफाई, नदियों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा नदियों के समस्त क्षेत्रों का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
14. जो जल स्रोत्र सूख चुके है उनको रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
15. पत्रकारों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
16. बी0पी0एल0 वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एम0आर0आई0 तथा डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
17. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,
18. प्रदेश के नये जनपदों के गठन की कार्यवाही तत्काल किये जाने,

19. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत कालसी, साहिया, चकराता एवं त्यूनी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने,
20. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत बिन्सौण में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय के अधूरे भवन को तत्काल पूर्ण किये जाने,
21. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत त्यूनी-कथियान अधूरे का बी० एम० एच० डी० बी० सी० से डामरीकरण किये जाने,
22. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत इण्टर कालेज मुन्धौल, केराड़, खरोड़ा, बिन्सौण, काण्डोई भरम, व्यासपुल, कोरूव एवं मुन्धान के भवनों का निर्माण किये जाने,
23. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत साहिया में स्वीकृत पालिटेक्निक में अन्य ट्रेड तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
24. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत हनोल-त्यूनी, त्यूनी-आराकोट, त्यूनी-प्लासू जलविद्युत परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से शुरू किये जाने,
25. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम कोटी, ईच्छाडी में अस्पताल का निर्माण किये जाने तथा
26. जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत लखवाड, पंजीटीलानी, कथियान व कुरोली में स्वीकृत आई०टी०आई० तत्काल इसी सत्र में प्रारम्भ किये जाने।
27. ग्राम-पुनाह पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
28. ग्राम-त्यूना मंगटाड मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
29. ग्राम-निनूस मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
30. ग्राम-पेनुवा मोटर मार्ग का विस्तार किये जाने,
31. ग्राम-मशक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
32. ग्राम-चान्जोई के नीचे टौन्स नदी पर मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
33. मीसस-अटाल मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
34. ककनाई-दौहा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
35. दावापुल मिण्डाल-खारसी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
36. क्वांसी-जोगियो मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
37. कथियान-मुन्धाली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
38. डांगुठा-पुरोला मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
39. त्यूनी-चांदनी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
40. ग्राम-भगवत मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
41. ग्राम-बायला-सैंज मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

42. लालपुल-बिसोई मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
43. नियला-बिसोई से रिखाड़ टुंगरा मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने।

3. श्रीमती ममता राकेश

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए धन आवंटन किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में महिला पालिटेक्निक खोले जाने,
4. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में ग्राम वहलपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ग्राम चुड़ियाला मोहनपुर में स्थापित बाबू कलीराम राकेश डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की कक्षाओं को संचालित किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में सी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थाई रूप में नियुक्त किये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक स्पोर्टस कालेज व स्पार्टस स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में गौशाला खोले जाने,
9. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिग्नल समस्या को देखते हुए मोबाईल टावर लगाये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्व0 सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण के लिए धन आवंटित व अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति किये जाने एवं प्रत्येक ग्राम में जिम सेन्टर बनाये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के किसानों का बकाया भुगतान किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में डाक्टर भीम राव अम्बेडकर, संत श्री रविदास और महर्षि वाल्मिकी पार्को के सौन्दर्यीकरण किये जाने,

13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना से धनराशि स्वकृत कराये जाने व उसका उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में किये जाने,
14. राज्य विधवा महिलाओं का उपचार निःशुल्क किये जाने,
15. राज्य में विधवा महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय प्रमाण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने,
16. राज्य में प्रतिस्यकता योजना में अनाथ/बेसहारा बच्चे जो विस्तारित कुटुम्ब के साथ रह रहे हैं, अशक्त तथा गम्भीर रोग के ग्रसित सजायाफ्ता माता-पिता की सन्तान, विधवा/तलाकशुदा स्त्री, परित्यक्ता, कुटुम्ब द्वारा परित्यक्त महिलाओं के बालक/बालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप में शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु दो हजार रुपये प्रतिमाह में बच्चों के आय मानक समाप्त किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में शमशान घाट एवं कब्रिस्तान की चाहरदीवारी तथा प्रत्येक शमशान घाट में छत्री तथा कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल के सुविधा किये जाने,
18. शमशान घाटों का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने,
20. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त भवन, शौचालय बालक व बालिका एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
21. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने,
22. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित ग्रामों का चयन किये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसानों का बिजली बिल माफ किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं समस्त पुलिया को पुनर्निर्माण बरसात से पहले अतिशीघ्र कराये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकनगुनियां, डेंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
26. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने तथा वर्किंग वुमैन के लिए हास्टल का निर्माण कराये जाने,
27. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में योग केंद्र खोले जाने,
28. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने,

30. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तालाबों के सौन्दर्यीकरण एवं चारों ओर रेलिंग की व्यवस्था कराये जाने,
31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज छापुर शेर अफगानपुर में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,
32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सभी गांवों में सरकारी सेवाओं की तैयारियों के लिए निशुल्क कोचिंग सेण्टरों की स्थापना किये जाने,
33. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आने-जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कराये जाने,
34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त किसानों को फसलों का मुआवजा दिये जाने,
35. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूपों के निर्माण एवं रिबोर किये जाने,
36. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों की मरम्मत एवं जल निकासी के लिए कोई ठोस योजना बनाये जाने,
37. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं बी०एस०सी० के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने,
38. भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में महिला हास्टल का निर्माण किये जाने,
39. भगवानपुर में बाबू जगजीवन आवासीय हास्टल का निर्माण किये जाने,
40. प्रदेश में स्मार्ट मीटर न लगाये जाने,
41. प्रदेश में किसानों को नलकूपों के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान किये जाने,
42. प्रदेश में किसानों का विद्युत सरचार्ज माफ किये जाने,
43. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने,
44. जनपद हरिद्वार के राजकीय कन्या इण्टर कालेज इकबालपुर में कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं का संचालन किये जाने,
45. जनपद हरिद्वार के विधान सभा भगवानपुर में हकीमपुर तुर्रा रा०क० इण्टर कालेज के लिए हाल्लूमजरा में भवन निर्माण कराये जाने,
46. जनपद हरिद्वार के विधान सभा भगवानपुर के अन्तर्गत रा०क० कालेज सिकरोढ़ा, रा०क०इण्टर कालेज सिकरोढ़ा व रा०क० इण्टर कालेज इकबालपुर के जीर्णशीर्ण भवन का निर्माण कराये जाने,
47. जनपद हरिद्वार के विधान सभा भगवानपुर के अन्तर्गत भगवानपुर के सिरकोढ़ा तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण व डामरीकरण कराये जाने,
48. प्रदेश मे नगरपालिका, नगर निगमों व नगर पंचायतों में कार्य करने वाले सफाईकर्मियों को नियमित किये जाने,

49. आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में एस0सी0, एस0टी0 व ओ0बी0सी0को आरक्षण दिये जाने,
50. प्रदेश में बी0आर0सी0 व सी0आर0पी0 की भर्ती शुरू किये जाने व एस0सी, एस0टी0, ओ0बी0सी0 व दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किये जाने,
51. संत सिरोमणि गुरू रविदास जयंती का सार्वजनिक अवकाश कलैण्डर में घोषित किये जाने,
52. प्रदेश में प्रत्येक गांव में पूर्व मे चल रही गोशालाओं को जीर्णोधार किये जाने,
53. मा0 विधायकगणों के आवासों (विधायक हॉस्टल) की स्थिति सुधार लाये जाने,
54. जनपद हरिद्वार के विधानसभा भगवानपुर के सभी किसानों के खेतो तक चकरोड पर सी0सी0 सडक का निर्माण किये जाने,
55. प्रदेश मे 2023 से दैवीय आपदा के अन्तर्गत दिये गये सभी कार्यो को बरसात से पूर्व किये जाने,
56. विधान सभा गैरसेण (भराडीसैन) भवन का नाम डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर जी के नाम पर रखे जाने,
57. प्रदेश में सभी औधोगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने,
58. जनपद हरिद्वार के विधानसभा भगवानपुर में औधोगिक क्षेत्र में ई0एस0आई0 अस्पताल खोले जाने,
59. जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर में जर्जर विद्युत लाईनों को बदलकर नई विद्युत लाईन लगाये जाने,
60. प्रदेश में एस0सी0,एस0टी0 व ओ0बी0सी0 की छात्रवृति समय पर प्रदान किये जाने,

4. श्री हरीश सिंह धामी

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. धापा से सांईपोलो, गिनीबैण्ड से गिनीगांव, जोशा से गांधी नगर, वल्थी से बाता उम डांडा, दमन गांव से सेमली, खुलीबैण्ड से सरमोला, बांसबगड़ से पोरथी, क्वीटी से मोहरम, सेलचामी से जरथी, सेलमाली से एस0सी0 बस्ती दाखिम कुरवा, सेरा से सिलिंग खरतोली, दारमा से आलम, भवानी से घरोड़ी मनकोट, चामी से मेतली कनार, लुमती से मल्ला लुमती, बरम्बोगई से पातल, बलवाकोट से पोखरी, बलवाकोट से कांडा, बलवाकोट से धोड़ालेक, गलाती से कटौचिया, दरतेजम से यलदौंग, नारायण आश्रम से पस्ती, सिरदांग से रुंग, नापड़ से नौड़ा सड़कों का निर्माण किये जाने,

2. राजकीय इंटर कालेज डोर, नाचनी, बगीचाबगड़, जोषा, उछेती, पिरथी, पद्मपाला, बांसबगड़, मुनस्यारी, खतेड़ा, भैंसकोट के भवन निर्माण किये जाने,

3. बालिका इंटर कालेज, नमजला, धारचूला, बीनाधार के भवन निर्माण किये जाने,

4. इंटर कालेज पय्यापोडी, स्याकुरी, खेत, जयकोट, मातम कैलाश, पंगला, पांगू का भवन निर्माण किये जाने,

5. माध्यमिक विद्यालय दर का निर्माण किये जाने,

6. जूनियर हाईस्कूल नामिक के भवन निर्माण किये जाने,

7. तहसील भवन बंगापानी, तेजम के भवन निर्माण किये जाने।

8. पं0 नैन सिंह, बलाती साहसिक पर्यटन भवन के अधूरे भवन का निर्माण कार्य किये जाने,

9. मुनस्यारी से खलियाटाप रोपवे का निर्माण किया जाने,

10. ओम पर्वत से आदि कैलाश, होकरा देवी, भराड़ी और छिपला कोट को चारधाम योजना के तहत जोड़े जाने,

11. ओम पर्वत से आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी, भराड़ी में पैदल रास्तों में पेयजल व्यवस्था, यात्री हट के निर्माण किये जाने,

12. आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी एवं भराड़ी में नमामि गंगे की तर्ज पर स्नान घाटों का निर्माण किये जाने,

13. दारमा, चौदास, व्यास मल्ला जौहार व रालम क्षेत्र को पैदल, पेयजल, व मोबाईल सेवा से जोड़े जाने उक्त में छः माह राशन सरकारी रेट पर अवमुक्त करने एवं छः माह निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने,

14. धारचूला मुनस्यारी के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने एवं प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गोरिल्लाओं को नियुक्ति दिये जाने,

15. पशु चिकित्सालय केन्द्रों में पशु एवं पशुधन अधिकारी की नियुक्ति किये जाने,

16. विधानसभा धारचूला के समस्त अस्पतालों में चिकित्सक (पुरूष/महिला), फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 की नियुक्ति किये जाने,

17. विधान सभा धारचूला के समस्त क्षेत्रों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़े जाने,

18. बंगापानी व तेजम तहसील में स्थाई तहसीलदारों की नियुक्ति किये जाने,

19. धारचूला, मुनस्यारी के समस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था दुरूस्त किये जाने,

20. तल्ला छारछूम से मल्ला छारछूम, चामी, तुंग्ती, छेड़ीबगड़, शेराघाट, मदकोट, सिरमोला, नाचनी, तेजम, बांसबगड़, दानीबगड़, बिखोरिया, धारचूला टाउन में आर्मी कैम्प में तटबन्ध निर्माण किये जाने,

21. मुनस्यारी के खलियाटाप में औली की तर्ज पर स्केटिंग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने,

22. दारमा क्षेत्र के पंचाचुली बेस कैम्प में होम स्टे योजना आरम्भ किये जाने,

23. वर्ष 2018-19 की आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा व पुनर्निर्माण कार्य किये जाने,

24. लम्बित विद्युत परियोजना, एन0एच0पी0सी0, टी0एच0डी0सी0, एन0टी0पी0सी0 को पूर्ण किये जाने,

25. धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को अतिरिक्त हाई एल्टिट्यूट भत्ता एवं उनके परिजनों को शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान किये जाने,

26. गूंजी, दारमा, चौदास, रालम, चौहान क्षेत्र में नियुक्त पुलिस के जवानों को सेना की तरह अतिरिक्त भत्ते दिये जाने,

27. मुनस्यारी में मिनी टैक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

28. नगर पालिका धारचूला में च्याल गांव को सीवर लाईन से जोड़े जाने,

29. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोखरी सड़क का निर्माण किये जाने,

30. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कांडा बलुवाकोट सड़क का निर्माण किये जाने,

31. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट भोड़ा लेक सड़क का निर्माण किये जाने,

32. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में धारचूला से रॉभी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

33. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

34. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कन्जोती से सुवा तक सड़क का निर्माण किये जाने,

35. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती तक सड़क का निर्माण किये जाने,

36. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बरम से कनार तक सड़क का निर्माण किये जाने,

37. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चामी, मेतली, खेतीखान, देवलेख, थरपष्टा सड़कों के निर्माण किये जाने,

38. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लुमती से धरुड़ी मनकोट, बथोला तक सड़क का निर्माण किये जाने,

39. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरा से सिंलिंग खड़तोली सड़क का निर्माण किये जाने,

40. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आलम दारमा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

41. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भवानी से मदरपा होते हुए धामी गांव तक सड़क का निर्माण किये जाने,

42. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेराघात से गोल्फा बोबा मोटर मार्ग में पुलों के निर्माण किये जाने,

43. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दानीबगड़ में टांगा, भिकरिया के लिए पुलों का निर्माण किये जाने,

44. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में फापा से उच्छैती तक सड़क निर्माण किये जाने,

45. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में उच्छैती से छिमछिमिया मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

46. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीरीजिमिया साईपोलो, साईंधुत तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

47. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

48. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बल्थी से वाता उमड़ापा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

49. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मदकोट से रोपाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

50. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में रिंपू ग्राम सभा में ओखली और स्यलतिंग सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,

51. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मानीटुण्डी में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

52. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भदेली से मल्ला भदेली सड़क मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

53. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चौना मालपाती भराड़ी मंदिर पापड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

54. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में गिनीबैण्ड से गिनीगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

55. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बिरथी से दाफा सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

56. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरणामी से बरथी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

57. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीटी से सैमली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

58. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में डोर से रूइसपाता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

59. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तेजम से नोटागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

60. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से छेतगाड़ी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

61. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से दुधधड़ तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

62. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैंसकोट से बसानी तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

63. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तोला भैंसकोट से तल्ला भैंसकोट तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

64. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में राया बफेला सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

65. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेलनाली से कुरवा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

66. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सीड़ीचामा क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

67. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लीती से नामिक सड़क व पुल निर्माण कार्य किये जाने,

68. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी, तहसील मुनस्यारी तहसील तेजम के समस्त आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि व पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने,

69. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सामु0स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,

70. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,

71. विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विद्यालयों के भवन निर्माण किये जाने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,

72. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पेयजल की सुचारू व्यवस्था किये जाने,

73. पर्यटक क्षेत्र धारचूला के पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

74. आदि कैलाश तथा ओम पर्वत जैसे आस्था के केन्द्रों हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

75. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

76. प्रसिद्ध आलू उत्पादक क्षेत्र (बंगातीफार्म) के लिए धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

77. विधान सभा क्षेत्र धारचूला में माईग्रेट ग्राम क्षेत्र रालम के लिए पैदल रास्ते व पुल निर्माण किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,

78. नेटवर्क से वंचित समस्त विधान सभा क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,

79. जाराजिबली से मेतली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

80. बलुवाकोट से धौड़ालेख मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

81. मुनस्यारी में पूर्ववर्ती सरकार में निर्माणाधीन मिनी टैक्सटाईल पार्क का निर्माण किये जाने,

82. मुनस्यारी में हाईट्यूट पं0 नैन सिंह कालेज का निर्माण किये जाने,

83. मुनस्यारी में इंटर कालेज तथा महाविद्यालयों में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

84. तल्ला जौहार में तेजम हास्पिटल का निर्माण किये जाने,

85. तल्ला जौहार में तहसील भवन का निर्माण किये जाने,

86. तल्ला जौहार में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

87. बांसबगड़ में सामु0स्वा0 केन्द्र का निर्माण किये जाने,

88. कालिका में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

89. धारचूला इंटर कालेज में हैलीपैंड व स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

90. धारचूला राठी के सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

91. तेजम में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

92. बांसबगड़ में क्रीड़ा स्थल का निर्माण किये जाने,

93. धामी गांव से बंगापानी तक सड़क निर्माण किये जाने,

94. छारमाघाटी से सेला, चल, बौना, बाऊनी, गो, मारछा, छीपू को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,

95. व्यासघाटी में रौंग-फौंग को सड़क से जोड़ने का कार्य किये जाने,

96. धार्मिक स्थल आदि कैलाश में पार्वती सरोवर और गौरीकुण्ड का सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,

97. ओम पर्वत दर्शन हेतु मार्ग निर्माण किये जाने,

98. होकरा में मंदिर स्थल सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने,

99. धारचूला में गलाती से धार्मिक स्थल छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

100. स्वारकुटी से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

101. गलाती से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

102. कनार से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

103. जाराजिबली से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,,

104. खेतजम्बू से छिब्लाकोट पैदल मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

105. खड़तोली से श्रद्धालुओं हेतु इन उक्त समस्त गांवों में पैदल मार्ग, पेयजल की व्यवस्था एवं यात्री टिन शेड का निर्माण कार्य किये जाने,,

106. बिरथी गिरगांव, गिनी, ला झेकला, सैढ़राथी, किमखेत, बाला के समस्त श्रद्धालुओं हेतु नन्दा कुंड तक पैदल पथ, यात्री शैड एवं पेयजल की व्यवस्था का कार्य किये जाने,,

107. सैमली, रूसपट्टा, बोरागांव, होकरा से जर्थी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,,

108. कुलडौरी से रूसपट्टा तक तटबन्ध एवं सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

109. बंगापानी में तहसील भवन एवं स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने,

110. राठी बौड़ागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

111. आपदा प्रभावितों परिवार जो कि एक ही घर में कई परिवार गुजर-बसर कर रहे थे को पृथक-पृथक पुनर्वासित किये जाने,

112. नामिक में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने,

113. नामिक, मल्ला जौहार, कवार, दारमा, चौदास, व्यास, नामिक, रालम जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के समय निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु,

114. सुरिंग गाड़ और तल्ला धुन्मर में तटबंध निर्माण किये जाने,

115. भदेली, मदकोट, शेरा, शेराघाट, बंगापानी, घरूड़ी, मनकोट, मोरी लम्ती, चामी, जौलजीवी, घट्टा बगड़, बलुवाकोट, धारचूला, गर्बियांग, तेम, सोबला, बांसबकड़, नाचनी, रसियाबगड़, रूसपट्टा, तेजम में तटबंधों का निर्माण किये जाने,

116. पूर्ववर्ती सरकारों में उच्चीकृत समस्त विद्यालयों में पठन पाठन को सुचारू किये जाने,

117. पूर्ववर्ती सरकारों में मदकोट व तेजम में उच्चीकृत सामु0स्वा0 केन्द्रों के सुचारू संचालन किये जाने,

118. बसौड़ा से खुन्नी तक सड़क निर्माण कर जोड़ने का कार्य किये जाने,

119. बसौड़ा से कालिका गोठी धूरा सड़क को जोड़ने का कार्य किये जाने,

120. दाखिम से माड़ी धामी होते हुए आलम दारमा, बंगापानी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

121. गौना से गोल्फा मोतीछाद सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

122. बलुवाकोट पोखरी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

123. मूर्ति नापड़ से सीढ़ी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,

124. होकरा में क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने,

125. सैणरांथी-किमखेत के मध्य क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य किये जाने।

5. श्री आदेश सिंह चौहान

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जसपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने,
2. नादेही शुगर मिल में एथेनाल प्लांट की स्थापना किये जाने,
3. जसपुर में पालिटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने,
4. नगर पालिका जसपुर में स्टेडियम तथा ग्राम करनपुर में मिनी स्टेडियन की स्थापना किये जाने,
5. तीरथनगर डाम क्षेत्र के राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
6. ग्राम किशनपुर में पूरनपुर में फीका नदी का तटबन्ध और ग्राम बैतवाला व बगवाड़ा में ढेला नदी का तटबन्ध बनाये जाने,
7. जिम कार्बेट पार्क का एक आवागमन द्वार जसपुर से पमरामपुर रेन्ज खोले जाने,
8. जसपुर नगर पालिका का ट्रेंचिग ग्राउन्ड बनाये जाने,
9. जसपुर में तीरथनगर मंदिर और तुमड़िया डाम का सान्दर्यीकरण किये जाने,
10. जसपुर विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण किये जाने,
11. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण किये जाने,
12. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी भवन निर्माण किये जाने,
13. जसपुर विधान सभा क्षेत्र सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों को निर्माण किये जाने।
14. जसपुर नगर पालिका में सीवर लाईन की व्यवस्था किये जाने।
15. जसपुर नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने व पेयजल व्यवस्था का द्वितीय फेज आरम्भ किये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र जसपुर के ग्राम सीपका वासियों को उनकी कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने।
17. विधासभा क्षेत्र जसपुर में सिविल न्यायालय भवन का निर्माण किये जाने,
18. राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने,
19. जसपुर विधान सभा में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना की किये जाने,
20. राज्य में नये जनपदों के गठन की कार्यवाही करते हुए काशीपुर को जिला बनाये जाने,

21. जसपुर विधान सभा में शमशान घाट व कब्रिस्तान की चाहर दीवारी बनाये जाने,
22. विधान सभा क्षेत्र जसपुर में गौशाला के निर्माण कराये जाने,
23. मदरसा बोर्ड में मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने।

6. श्री मनोज तिवारी,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. अल्मोड़ा विधान सभा के लोधिया में फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट में कक्षाओं का संचालन किये जाने,
2. अल्मोड़ा में स्पोर्टस कालेज स्वीकृत किये जाने,
3. जनपद अल्मोड़ा विधान में पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से मल्ला महल, कसारदेवी,बानडीदेवी,स्याही देवी रोप-वे की स्वीकृति दिये जाने,
4. अल्मोड़ा विधान सभा में इंजीनियरिंग कालेज स्वीकृत किये जाने,
5. अल्मोड़ा विधान सभा को नगर को हैरिटेज सीटी घोषित किये जाने,
6. अल्मोड़ा विधान सभा का विस्तार होने के कारण सिटी बस तत्काल संचालित किये जाने,
7. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछाना के रीठगाड़ में डिग्री कालेज की स्वीकृति दिये जाने,
8. अल्मोड़ा विधान सभा के बाड़ेछीना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,
9. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड लमगड़ा के ग्राम ढौरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
10. अल्मोड़ा विधान सभा के विकासखण्ड भैसियाछाना के धौलाछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
11. अल्मोड़ा विधान सभा के विकास खण्ड भैसियाछाना के बाड़ेछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
12. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग ब्लाक के समीप मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
13. अल्मोड़ा विधान सभा के हवालबाग क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु मिनी उद्योग का निर्माण किये जाने,
14. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त आई0टी0आई0 संस्थान को मैदान क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के साथ समन्वय करते हुए संचालित किये जाने,
15. अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड भैसियाछाना के बाड़ेछीना पालिटेक्निक नई कक्षायें संचालित किये जाने,
16. अल्मोड़ा विधान सभा के आई0टी0आई0 धौलछीना नये ट्रेड खोले जाने,

17. अल्मोड़ा विधान सभा के कसारदेवी को पर्यटन के साथ-साथ आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने,

18. अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योग संस्थान की स्थापना किये जाने,

19. अल्मोड़ा विधान सभा उदया शंकर नाट्य आकादमी को पूर्णरूप से संचालित किये जाने,

20. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड भैंसियाछाना नौगांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

21. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 लमगडा के हाईस्कूल बैटा का उच्चीकरण किये जाने,

22. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 हवालबाग के ग्राम खूट के पनीर प्लाट जो पूर्व में स्वीकृत था उसका संचालन किये जाने,

23. अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 हवालबाग के ग्राम खूट में दनकालीन प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः संचालित किये जाने,

24. अल्मोडा में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाय,

25. विकासखण्ड हवालबाग के मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पतलिया मोटर मार्ग की स्वीकृति किये जाने,

26. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम डटवाल गांव से सुवालबाड़ी तक मोटर मार्ग एवं मोटर पुल की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

27. विकासखण्ड हवालबाग के स्याहीदेवी से शीतलाखेत तक मोटर मार्ग पार्ट-2 एवं सुधारीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

28. विकासखण्ड हवालबाग के तिवाड़ीखान से ग्राम-माट तक पार्ट-2, सुधारीकरण एवं डामरीकरण कर मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने

29. अल्मोड़ा कोसी बैराज के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ओपन जिम, बच्चों के लिए पार्क, पार्किंग, कैन्टीन की व्यवस्था किये जाने,

30. अल्मोड़ा के पपरसैली में ईको पार्क को विकसित किये जाने,

31. विकासखण्ड हवालबाग मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम दैन-डाल मोटर मार्ग के स्वीकृति,

32. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम स्यूटा से ग्राम-बाटीमी मोटर मार्ग के स्वीकृति प्रदान किये जाने,

33. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम-कुन्याड़ी से ग्राम-बस गांव मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

34. विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम दिलकोट से ग्राम बल्सा तक मोटर मार्ग एवं मोटर पुल की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

35. विकासखण्ड भैंसियाछाना के ग्राम नौगांव से कनारीछीना तक मोटर पुल एवं पार्ट-2 एवं सुधारीकरण एवं डामरीकरण किये जाने,

36. विकासखण्ड भैंसियाछाना के ग्राम-कुन्जा से गैराड़ तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जानें

37. विकासखण्ड भैसियाछाना के ग्राम-सल्ला से ग्राम-तैणी तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
38. विकासखण्ड भैसियाछाना के कनारीछीना से ग्राम-पतल्चौंदा तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
39. विकासखण्ड भैसिंयाछाना के धौलछीना से पनेट-पत्थरखानी वृद्ध जागेश्वर मोटर मार्ग की स्वीकृत प्रदान किये जाने।

7. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. सीमांत विधान सभा में सरकारी भूमि में निवासरत लोगों की पूर्वजों द्वारा मेहनत कर बंजर भूमि को कृषि योग्य एवं आवास योग्य बनाया गया है जिससे उक्त भूमि सदुपयोग हो सकी ऐसे उक्त सरकारी भूमि पर निवासरत/कब्जा धारकों को भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने,
2. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा पुरानी तहसील परिषद में बाबा साहब डां0भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति खटीमा को भूमि का आवंटन किया गया था जिसको बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि आवंटन पुनः बाबा साहब डां0भीमराव अम्बेडकर जन समिति कल्याण को किये जाने।
3. उत्तराखण्ड की भौगोलिक सीमाओं को अन्दर निवासरत ऐसे परिवार को जो कि उत्तराखण्ड बनाने के समय से स्थायी रूप से निवासरत है। जो जाति प्रमाण पत्र कट आफ डेट में छूट प्रदान कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभावी किये जाने।
4. उत्तराखण्ड में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल पर सब्सिडी प्रदान की जाये जाने उत्तराखण्ड के लोगों को कम दामों पर गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल दिये जाने,
5. राशन कार्ड आनलाईन होने की दिक्कतों के कारण अनेक परिवारों के पुराने राशन कार्ड आनलाईन नहीं हो पाये हैं। उक्त पुराने राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान् उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुचारू किये जाने।
6. 70 खटीमा विधान सभा अनुसूचित जाति/अनु0जन बाहुल्य विधान सभा है और उसके साथ-साथ सीमांत विधान सभा होने के कारण 70 खटीमा में अनुसूचित जन जाति विकास, अनु0जन0जाति विकास एवं बार्डर डब्लेपमेन्ट योजन के अन्तर्गत विकास कार्यो के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर विकास कार्यो प्रारम्भ किये जाने।
7. सक्रिय राज्य आन्दोलन कार्यो चिन्हीकरण के दौरान लम्बित 254 आन्दोलन कार्यो को तत्काल परिचय पत्र जारी कर उनको पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने।

8. ग्राम बग्धा-54 को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने।
9. अल्पसंख्यक भौगोलिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण नीति से विकास कार्य किये जाने।
10. महाविद्यालय खटीमा विभिन्न विषयों पर सीटें बढ़ाई जाय एवं महाविद्यालय में पूर्व की भाति प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने जिससे कि गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का लाभ दिये जाने,
11. खटीमा विधान सभा के अन्तर्गत सरकारी गेहू तोल केन्द्रों पर तोल प्रारम्भ कार्यवाही करवाई जाने एवं तोल केन्द्रों पर सी0सी0टी0कैमरों की व्यवस्था एवं किसानों की फसल के मूल्य का भुगतान 02 दिन के अन्तर्गत दिया जाना सुनिश्चित किये जाने।
12. किसानों को गन्ने के बकाया पैसों का तत्काल भुगतान किये जाने।
13. गौशाला के निर्माण तत्काल पूर्ण करवाये जाने जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाये जाने,
14. अघोषित विद्युत कटौती की तत्काल बंद कर बिजली के दामों को कम किये जाने,
15. राजकीय पौलीटैक्नीक खटीमा विषय की सीटें बढाई जाये।
16. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने।
17. नगरीय क्षेत्र में आवादी के मध्य गुजर रही हाईटेंशन लेनों को मैन रोड़ों पर स्थानान्तरण किये जाने एवं गलियों में छोटा ट्रांसफार्मर लगा कर विद्युत आपूर्ति किये जाने।
18. नगर खटीमा के लीज नवीनीकरण/लीज दाखिल खारिज लीज विरासतन की प्रकिया सरलीकरण किया जाय एवं लीज संबंधी समस्त प्रकार के कार्यों उपस्थिति उप जिलाधिकारी स्तर पर पूर्ण कराये जाने,
19. खटीमा शहर में सीवर लाईन का निर्माण कार्य कराये जाने,
20. राजकीय महाविद्यालय खटीमा में रोजगारपरक विषयों को प्रारम्भ किये जाने,
21. नगरपालिका परिषद खटीमा के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण/निर्माण कराये जाने,
22. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत नलकूपों की स्थापना किये जाने,
23. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत 2000 हैण्ड पम्पों को लगवाये जाने,
24. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पालिटैक्निक खोले जाये,
25. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्य प्रभाव प्रारम्भ कराये जाने,
26. नगर पालिका परिषद को कुड़ा कलैक्शन के लिए 20 छोटे वाहन उपलब्ध कराये जाने,

27. नगर खटीमा में टचिंग ग्राउण्ड को तत्काल प्रारम्भ कराये जाने,
28. कूड़े के निस्तारण के लिए रिसाईकलिंग प्लान्ट लगाये जाने,
29. खटीमा के गरीब वर्ग के अनु0जाति,/अनु0जनजाति/सामान्य वर्ग/पि0जाति के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग खुलवाये जाने।
30. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत व खत्तों वन में रहने वाले परिवार का पुर्नवास कर उनके लिए आवास फ्री शिक्षा व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाये जाने।
31. शहर खटीमा में प्रत्येक घर में निशुल्क जल संयोजन दिलाये जाने।
32. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत मच्छरों के प्रकोप चिकनगुनिया डेंगू मच्छरों से निजात पाने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने।
33. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में लम्बित निर्माण कार्य विकास कार्यों को तत्काल पूर्ण करवाये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष को निर्देशित कर कार्य को तत्काल पूर्ण करने का आदेश दिये जाने,
34. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने,
35. विधान सभा खटीमा के जिला स्तर के विभिन्न कार्यों में प्रत्येक सप्ताह खटीमा में कैम्प लगाकर पूर्ण कराये जाने,
36. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में तत्काल ए0एन0एम0 सेन्टर खोले जाने,
37. राज्य में विधवा/वृद्धा/विकलांग पेंशन के लिए आय का मानक 4000 से बढ़ाकर 6000 रूपये किये जाने,
38. विधान सभा खटीमा के स्थित बाढ़ के समय के बढ़ते जलस्तर को रोकने व मिट्टी कटान को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाये जाकर कार्य प्रारम्भ किये जाने,
39. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित मंदिरों की चार दीवारी एवं मंदिरों में सौन्दर्यकरण किये जाने,
40. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत सितारगंज रोड़ से जरासू प्रतापपुर जाने वाली मैन रोड का नाम गुरू तेग्बहादुर रखे जाने हेतु संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव मागा जाए एवं रोड़ का नाम गुरूतेगबहादुर रोड़ रखे जाने,
41. नगर सीमा के अन्दर निवासरत भूतपूर्व सैनिक शहीद उत्तराखण्ड आन्दोलन के परिजन सहित सैनिक राज्य आन्दोलनकारी के परिवार पर लगने वाले गृह कर पूर्णतया समाप्त किये जाने,

42. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत स्थित रा0प्रा0वि0 एवं विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को रिक्त पद एवं उक्त विद्यालयों में शौचालयों में पीने के लिए स्वच्छ पानी आदि की व्यवस्था कर प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त भवनों का निर्माण कराये जाने,
43. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत गरीब परिवारों का बिजली का बिल माफ किये जाने,
44. नागरिक चिकित्सालय खटीमा में पार्किंग शुल्क समाप्त किये जाने,
45. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत पहेनिया टोल प्लाजा खटीमा के लोगों को टोल फ्री में मुक्त किये जाने,
46. विधान सभा खटीमा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराये जाने,
47. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर उनके गांव की रोड़ का नाम उनके नाम पर उक्त गांव में विशेष कार्ययोजना बनाकर विकास कार्य करवाये जाने,
48. माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये रैन बसेरे का निर्माण कराये जाने।
49. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत आगनबाडी भवनों का निर्माण कराये जाने,
50. वन चेतना मैदान में स्वीकृति स्टेडियम को तत्काल प्रारम्भ किये जाने,
51. विधान सभा खटीमा के अन्तर्गत भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवकों के लिए न्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,
52. विधान सभा खटीमा में केन्द्रपोषित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ कराये जाने।

8. श्री विक्रम सिंह नेगी,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत फिकवाल समुदाय को केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किये जाने,

2. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्वीकृति राजीव गांधी आवासीय विद्यालय को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने व संचालन प्रारम्भ किये जाने।

3. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जाख से डोबरापुल से लम्बगांव को सड़क डबल लेन चौडीकरण एंव हाटमिक्स डामरीकरण किये जाने।

4. हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी सख्त भू-कानून लागू किये जाने।

5. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जखिण्डा में 1100 नाली भूमि पर स्वीकृत वानिकी औद्योनिक विश्वविद्यालय के परिसर का भवन निर्माण एंव बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने।

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत प्रतापनगर में वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय के शोध प्रसार केन्द्र के भवन निर्माण एंव बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने।

7. जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत उत्तरद्वारिका सेम नागराजा धाम के पैदल पथ पर कैनोपी निर्माण एंव पर्यटन विकास कार्य करने के साथ सेम नागराजा धाम को उत्तराखण्ड का पांचवा धाम बनाये जाने।

8. टिहरी बांध की झील में विश्वस्तरीय पर्यटन विकास कार्य किये जाने,

9. टिहरी बांध की झील में अधिकतम प्रभावित प्रतापनगर विधान सभा में झील के ऊपर स्थित ग्राम म्यूण्डा से मोटणा तक पर्यटन विकास कार्य किये जाने,10. प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रसिद्ध खैट पर्वत हेतु रोपवे निर्माण किये जाने,

11. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत राजखेत, लम्बगांव एवं खेतुधार में हैलीपैड निर्माण किये जाने,

12. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के ग्राम पाचरी एवं सेनण्डीधार में अर्द्धनिर्मित स्टेडियमों के लिए शेष धनराशि स्वीकृत किये जाने,

13. प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के वाल्याखाल से कंगधार तक सड़क निर्माण किये जाने,

14. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जीटीपी सड़क से जखिण्डा तक सड़क निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन किये जाने,
15. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पीपलडाली पुलसे म्यूण्डा मय लवाली तक सड़क के रिवाईज स्टीमेट की स्वीकृति दिये जाने,

16. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रिण्डोल ससे धारकोट वाली सड़क का डामरीकरण किये जाने,

17. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव -विजपुर परियाला सड़क के कण्डा - जिवाल रावल गांव तक सडक निर्माण किए जाने ,

18 . विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मांजफ - मंदार सडक का डामीकरण किये जाने,

19. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मुखमालगांव-सिलोड़ा-सौंदी सड़क निर्माण किये जाने,

20. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खराला से धंगणगांव तक सड़क निर्माण किये जाने,

21. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैंका से सदड़गांव तक सड़क निमाण्ण किये जाने,

22. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल-मुखमालगांव-सिलोडा सड़क निर्माण कराये जाने,

23. जगड़गांव पट्टी वमरी उत्तरकाशी से किमखेत-बिजबागी (टि0ग0) तक सड़क निर्माण कराया जावे,

24. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सौन्दगडडा से चाका-सिलोड सड़क के द्वितीय चरण की स्वीकृति किये जाने,

25. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मणबागी सौड़ से माजरेभाल तक सड़क निर्माण कराये जाय,

26. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजौगाड-क्यूलागी सड़क के किमी0 04 से बोरगांव तक सड़क का निर्माण कराया जाय,

27. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत गादडी से थौलधार तक सड़क निर्माण कराये जाय,

28. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सिरखोली गोदडी सड़क से बेथाण तक सड़क निर्माण कराये जाने,

29. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डा प्रतापनगर सड़क से धनागांव-खुडडु-राजू की सारी से लाडा देवता तक सड़क निर्माण कराये जाने,

30. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत छिट्टा में वनिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय का कृषि ज्ञान केन्द्र स्वीकृति कराये जाने,

31. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव आईटीआई के भवन निर्माण हेतु शेष धनराशि स्वीकृत एंव कक्षायें शुरू कराये जाने,

32. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यान्सू पुल से बैलगांव सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

33. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा पुल में स्वीकृत अस्पताल का भवन निर्माण कराये जाने,

34. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सीएचसी लम्बगांव, सीएचसी प्रतापनगर, सीएचसी मदननेगी एंव रजाखेतऊ सेमण्डीधार, काण्डीधारऊ काण्डीखाल एंव डोबरा अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड एक्सरे मशीन पैथालोजी लैब सुविधा के साथ टैक्निशियन, स्वास्थ्य कर्मी, एवं डाक्टरों से सुविधायुक्त अस्पताल बनाने,

35. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सभी स्कूलों एंव कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरने,

36. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव-प्रतापनगर सड़क पर स्थित घनी जनससंख्या बाहुल्य कस्बे रमोलगांव, मांजफ, बनाली पट्टी धारकोट में मल्टीस्टोरी पार्किंग कराये जाने,

37. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ढुंग-पुजारगांव सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

38. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कस्तल-भट्वाड़ा-सेमण्डीधार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

39. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मंदार-मांजफ सड़क से देवताधार-दुगडिया-भेगल्थ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

40. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मन्दार घोल्डाणी सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

41. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रा0इ0का0 मन्दार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

42. कर्मचारियों के हित में पुरानी पैंशन योजना लागू कराये जाने,

43. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए नियम सुलभ करने एवं अधिक सब्सीडी प्रदान कराये जाने

44. उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निजी ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स किये गये कर्मियों को संविदा उपनल/हैण्ड रशीद के माध्यम से सेवायोजित कराये जाने,

45. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत मांजफ-मंदार कोटालगांव-तिनवालगांव लासी-सेम्य चौन्दाणा-खेट सड़क का लम्बित मुआवजा भुगतान किये जाने,

46. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय नई टिहरी जिला मुख्यालय तक बस सेवा शुरू कराये जाने,

47. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत पेयजल सुविधा हेतु स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाने,

48. प्रतापनगर विधान सभा के अन्तर्गत उपली रमोली एवं रैणद रमोली के मध्य विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,

49. उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थायी एंव संविदा कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने,

50. प्रतापनगर में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय के निर्माण किये जाने?

51. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत आई.टी.आई. लम्बगांव के भवन के स्वीकृति प्रदान किये जाने,

52. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जल संरक्षण एवंज ल संवर्धन हेतु स्वीकृति पदान किये जाने

निम्नलिखित स्थानों पर जल संरक्षण एवं जल हेतु वर्षा जल तालाब निर्माण किये जाने-?

(1) रा0इ0का0 धारकोट के ऊपर नदौड वि0ख0 जाखणीधार,

(2) खैट एंव पीडी के बीच लवाना वि0ख0 जाखणीधार।

(3) खैट पर्वत वि0ख0 जाखणीधार।

(4) धारकोट के ऊपर जगदेई पाणी वि0ख0 जाखणीधार।

(5) ग्राम मांजफ के ऊपर नैलाण बीट, वि0ख0प्रतापनगर।

(6) ग्राम मंदार के ऊपर भेगल्थ वि0ख0 जाखणीधार।

(7) ग्राम कुड़ी के ऊपर नाल्द वि0ख0 प्रतापनगर।

(8) सेम नागराजा धाम के समीप मणवागी सौड़ वि0ख0 प्रतापनगर।

(9) ग्राम जाखणी के ऊपर खरोली सौड़ वि0ख0 प्रतापनगर।

(10) ग्राम सेलूर के आंगन वि0ख0 थौलधार।

(11) ग्राम ओनालगांव एवं रैणिया के ऊपर कुजु सौड़ वि0ख0 प्रतापनगर।

(12) दिनयाली देवी वि0ख0 प्रतापनगर।

(13) ग्राम पोखरी भदूरा के ऊपर अखोडी वि0ख0 प्रतापनगर।

(14) ग्राम कोटी में तेधरिया वि0ख0 जाखणीधार।

(15) ग्राम कुंग वि0ख0 जाखणीधार।

(16) ग्राम कंगसाली वि0ख0प्रतापनगर।

53. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के प्रतापनगर, जाखणीधार एवं थौलधार विकास खण्डों में सासेलर लाईट की स्वीकृति दिये जाने,

54. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में हाईमास्क सोलर लाइट स्वीकृति दिये जाने,

55. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर विकास खण्ड प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार फर्नीचर हेतु स्वीकृति दिये जाने

निम्नलिखित स्कूलों में फर्नीचर की स्वीकृति दिये जाने

वि0ख0 प्रतापनगर के अन्तर्गत

(1) रा0इ0का0 रौण्द रमोली,

(2) रा0उ0मा0वि0 रैंगद रमोली,

(3) रा0उ0मा0वि0 कोरदी,

(4) रा0इ0का0 थापला औंण,

(5) रा0इ0का0 मिश्रवाणगांव,

(6) इ0का0 मांजफ,

(7) रा0इ0का0 ओखलाखल,

(8) रा0इ0का0 गालुड्धार,

(9) रा0इ0का.0 दीनगांव,

(10) रा0उ0मा0वि0 वैल्डोगी,

(11) रा0उ0मा0वि0 वैल्डोगी,

(12) रा0उ0मा0वि सौन्दी,

(13) शहीद श्रीदेव सुमन पूर्व मा0वि0 रैंणिया,

(14) रा0इ0का0 गल्याखेत,

(15) इ0का0 कोटालगांव,

वि.ख. जाखणीधार के अन्तर्गत

(1) रा0इ0का0 कोपड्धार,

(2) रा0इ0का0 ढुंग,

(3) रा0इ0का0 सेमण्डीधार,

(4) रा0इ0का0 मंदार,

(5) रा0इ0का0 वीरेन्द्र कोट,

(6) रा0इ0का0 कफलोग।

वि.ख. थौलधार

(1) रा0इ0का0 भल्डियाना।

56. मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या - 340/2020 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग के बेलम बिट्ठा से उपरी पडिया तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

57. मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या- 975/2021 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर बैण्ड धनागांव से होमपाट्ठ से तिमल्यासौड-मिश्रवाण गांव तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

58. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत इ0का0 थौलधार मांजफ का प्रान्तीयकरण किये जाने,

59. उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदो के सापेक्ष शीघ्र ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आयोजित किये जाने,

60. एस. सी.पी के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के अन्तर्गतढुंग खबोगी (अम्बेडकर) मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (प्रथम चरण) प्रारम्भ किये जाने

61. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के अन्तर्गत जाखणीधार बरिल झिवाली मोटर मार्ग का पुनर्निमाण एवं सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

62. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर में रिण्डोल धारकोट मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

63. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के तेलुंगा (मांजफ) घोल्यानी मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (प्रथम चरण) प्रारम्भ किये जाने,

64. विधान सभा प्रतापनगर काण्डाखाल-छेरपधार (बसेली से काण्डाखाल) मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

65. राज्य योजना के अन्तर्गत गैरी हलेथ सिलारी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

66. राज्य योजना के अन्तर्गत पिलानीधार से ओणेश्वर मन्दिर की मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ किये जाने

67. विधान सभा प्रतापनगर में काण्डाखाल-छेरपधार (बसेली से काण्डाखाल) मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति दिये जाने,

68. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत जाखणीधार बरिल क्षिंवालीर मोटर मार्ग का पुनर्निमाण एवं डामरीकरण सुधारीकरण का कार्य किये जाने,

69. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में रिण्डोल धारकोट मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य किये जाने,

70. मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 1514/2021 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा प्रतापनगर के मंदार से नाजफ घोल्डानी मोटर मार्ग का सुधरीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (प्रथम चरण) किये जाने,

71. राज्य योजना के अन्तर्गत भराडी से खैट पर्वत मोटर मार्ग कार्य। (द्वितीय चरण) किये जाने,

72. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में ग्राम पंचायत पोन्टी के पुल जन्द्रवाडा नार्में ताक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण स्टेज-1) किये जाने

73. राज्य योजना के अन्तर्गत गोदडी से गढ़वालगाड देवीधार मोटर मार्ग कार्य। (द्वितीय चरण) का कार्य किये जाने

74. राज्य योजना के अन्तर्गत केदार मन्दिर पट्टूडी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण स्टेज- 1) किये जाने,

75. भेनगी से बैरबागी का मिसिंग लिंक मार्ग काय (प्रथम चरण) किये जाने,

76. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में जुंकाणी भेलुन्ता मोटर मार्ग के किमी0 4 से मंजगांव भिण्डर तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

77. राज्य योजना के अन्तर्गत पीपलडाली रजाखेत सडक के सिलाली गाड में पुलिया निर्माण कार्य किये जाने,

78. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत वि0ख0 जाखणीधार में मदननेगी खोला के किमी0 1से माटगा मदननेगी मोटर मार्ग के जनवालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण स्टेज-1)किये जाने,

79. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में पणसूत शुकी मोटर मार्ग के किमी0 5 से पलुन्ट तक मोटर मार्ग निमार्घण कार्य। (प्रथम चरण) किये जाने,

80. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1514/2021 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर सेम मुखेम मन्दिर तक जाने वाले पैदल मार्ग में कैनोपी शेड निर्माण कार्य किये जाने ,

81. राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में क्यारी रौणिया जिवाला पांखरियालगांव मोटर मार्ग तथा सेमल मोटर मार्ग कार्य । (द्वितीय चरण) किये जाने,

82. राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के लम्बगांव बिजपुर रावत गांव पनियाल मोटर पनियाल मोटर मार्ग के किमी0 12 से कांगड़ नामें तोक से प्राथमिक विधालय पनियाल एवं लक्ष्मी मन्दिर तक मोटर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य किये जाने,

83. राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डोब्रा थापला मोटर मार्ग के किमी0 4 घेड़धार नामें तोक से कामलिय पाणी तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

84. राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रतापनगर में ग्राम पंचायत घोन्टी के पुल से जन्द्रवाडा नामे मोटर के नव निर्माण कार्य द्वितीय चरण, स्टेज-1किये जाने,

85. कन्डियाल गांव पोखरी (बाईपास) मोटर का नव निर्माण कार्य (मुखेम से धंगणगांव मोटर मार्ग) 05 किमी0 द्वितीय चरण प्रारम्भ किये जाने,

86. राज्य योजना के अन्तर्गत घनसाली-टिहरी-प्रतापनगर मोटर मार्ग से कोटवौरी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का द्वितीय चरण किये जाने,

87. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में स्यालगी-जलांणगांव, डोडन-वापला मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य,

88. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में पिलानीधार-जमुण्डा (क्यारी) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम चरण किये जाने,

89. मदननेगी से ट्राली मोटर मार्ग के किमी0-02 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मदननेगी के 0.08 से 0.450 मीटर तक पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण कार्य किये जाने,

90. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में जाखणीखाल बरिल झिंवाली मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने,

91. राज्य योचना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में रैंडोल धारकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने,

92. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर के तेलुंगा (मांजफ) घोल्डानी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का प्रथम चरण कार्य किये जाने,

93. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रतापनगर के विकास खण्ड जाखणीधार में मदननेगी खोला मोटर मार्ग के किमी0-01 से मोटणा मदननेगी मोटर मार्ग के जलवालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य द्वितीय चरण, स्टेज-1कार्य किये जाने,

94. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में दसूली बैण्ड म्यूंडी मंदार मिसिंग मोटर मार्ग लम्बाई 3.725 किमी0 का डामरीकरण कार्य द्वितीय चरण कार्य किये जाने,

95. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मोटर मार्ग के खिकराटिया बैण्ड से सिण्ड नाने तोक तक 03 किमी0 प्रथम मोटर मार्ग का कार्य किये जाने,

96. भेनगी से बैरबागी वाया कौलधार का मिसिंग लिंक 05 किमी0 मोटरमार्ग प्रथम चरण प्रारम्भ किये जाने,

97. राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत उप्पू से औलणी तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य किये जाने,

98. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1514/2021 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा प्रतापनगर के मंदार से मांजफ घोल्डानी मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (प्रथम चरण) किये जाने,

99. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1514/2021 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा प्रतापनगर सेम मुखेम मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग में कैनोपी शेड का निर्माण किये जाने,

100. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-975/2021 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर बैण्ड धनागांव होमपाट्य से तिमल्यासैड़-मिश्रवाण गांव तक मोटर मार्ग, द्वितीय चरण का कार्य किये जाने,

101. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-340/2020 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग के वेलम बिट्टा के ऊपर पडिया तक मोटर मार्ग का निर्माण, प्रथम चरण किये जाने,

102. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-2048/2016 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में सेलूर से कोटी रौल्यालू तक मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य किये जाने,

103. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-339/2020 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में सेलूर से कोटी रौल्यालू तक मोटर मार्ग (लम्बाई 5.00 किमी) का मोटर मार्ग निर्माण का कार्य किये जाने,

104. विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के सेलूर कोटी रौल्यालू की बोरगांव से रत्नोगाड थौलधार मिसिंग लिंक सड़क 02 किमी0, द्वितीय चरण का कार्य किये जाने,

105. स्यालगी पिपलोगी लम्बगांव बाईपास सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,

106. भैन्सलाखाल गैरी ब्राहमणों से बुरांश खण्डा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

107. कोटीखाल धार दुगडा खरोली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,

108. बसेली से झिवाली सड़क का डामरीकरण कार्य किये जाने,

109. ननवा थात सड़क का डामरीकरण कार्य किये जाने,

110. चौदाड़ा खेट पर्वत सड़क का डामरीकरण किये जाने,

111. रिंग रोड पर कोटी कालोनी से डोबरा तक भवनों का मूल्यांकन कम दरों पर न किये जाने,

112. ऋषिकेश से वाया घनसाली मन्दार बस सेवा चलाये जाने।

9. काजी मौ0 निजामुद्दीन

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. नगरीय क्षेत्रों में एन0जी0टी0 के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रेन्चिंग ग्राउंड बनाये जाने,
2. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रू0 4000/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
3. प्रदेश के किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ किये जाने,
4. राज्य को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराये जाने,
5. सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण राज्य में लगातार बन्द हो रहे उद्योगों को पुनः चलाने एवं कोई कार्य योजना बनाये जाने,
6. राज्य के वित्तीय विकास और बेरोजगारी दूर करने तथा नये उद्योगों को स्थापित करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने जाने,
7. प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर चालू पैराई सत्र और गत वर्षो का गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब किये जाने,
8. प्रदेश में गत वर्षो की तुलना में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मौजूदा पैराई सत्र में गन्ने मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तय किये जाने,
9. राज्य में किसानों से सिंचाई कर पूर्णतः समाप्त किये जाने,
10. राज्य में उर्दू, पंजाबी, कुमाऊनी, गढ़वाली भाषाओं के लिए अलग-अलग ऐकेडमी स्थापित किये जाने,
11. एस0पी0क्यू0इ0एम0 के अन्तर्गत मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की वर्षो से रुके हुए वेतन अविलम्ब दिये जाने,

12. सम्पत्ति के क्रय-विक्रय में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी कम किये जाने,
13. प्रदेश में सरकारी सेवाओं में एस0सी0, एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 के पुराने चलते आ रहे बैकलाग को यथाशीघ्र पूरा किये जाने,
14. राज्य की क्षतिग्रस्त सड़कों की यथाशीघ्र मरम्मत अथवा पुनः बनाये जाने,
15. हरिद्वार महाकुम्भ में आने वाले यात्रियों के सुगत आवागमन हेतु यात्रियों की अनुमानित संख्या के अनुसार हरिद्वा की ओर जाने वाले सभी छोटे बड़े मार्गो को व्यवस्थित करने ताकि कुम्भ के समय जाम न लगाये जाने,
16. महाकुम्भ हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में सरकार की ओ से धन की कमी होने एवं मार्च का महिना प्रारम्भ हो गया है और अब तक 50 प्रतिशत से काफी कम धन व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में महाकुम्भ को भव्य बनाने हेतु रूपये 1000/- की व्यवस्था किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर में मंगलौर का परिवहन बस अड्डे की स्थिति में सुधार किये जाने तथा यात्रियों के लिए सुविधायें प्रदान किये जाने तथा आधुनिक बनाये जाने,
18. मंगलौर के अस्पताल में बेड बढ़ाये जाने,
19. मंगलौर में खेल का मैदान उपलब्ध कराने जाने,
20. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम सीखर, मंगलौर में बने कालेज में विज्ञान डिग्री कालेज खोले जाने,
21. सी0एच0सी0 गुरुकुल नारसन, मंगलौर को आधुनिक करने और ट्रामा सेंटर बनाये जाने,
22. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के पशु चिकित्सालय मंगलौर और गुरुकुल को आधुनिक कर स्टाफ की कमी को पूरा किये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के समस्त विद्यालयों के भवनों का सर्वे करया कर जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर नये आधुनिक भवनों का निर्माण किये जाने,
24. सैन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने ब्लाक भगवानपुर और ब्लाक बहादराबाद को जल स्तर के आधार पर सैमी किटीकल घोषित किये जाने,
25. ग्राउण्ड वाटर के लिए कार्य योजना बनाये जाने,
26. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के सी0एच0सी0 में अल्ट्रसाउन्ड, एक्स-रे और कार्डियोलाजी हेतु उपकरण मगाये जाने,
27. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर क्षेत्र में पुस्तकालय खोले जाने,
28. राज्य में महंगाई कम करने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये टैक्स कम किये जाने,
29. विधान सभा मंगलौर के ग्राम लिब्बहरेडी में नहर के क्षतिग्रस्त पुल का नव निर्माण किये जाने तथा
30. ग्राम सिखर में डिग्री कलेज संचालित न किये जाने।

10. श्री गोपाल सिंह राणा,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1 महाराणा प्रताप रा0महा0 विद्यालय नानकमत्ता हेतु भूमि एंव भवन की व्यवस्था कराये जाने,
2 नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में एक मात्र विद्युत सबस्टेशन है, नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र में एक और ग्राम लामाखेडा करोनी में सब विद्युत स्टेशन की स्थापना कराये जाने,
3 नानक मत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने
4 जनपद उधमसिह नगर के नानकमत्ता वि0स0 के ग्राम साधू नगर एंव सिडकुल सितारगंज के मध्य कैलाश नदी में पुल का निर्माण कराये जाने
5 जनपद उधमसिंह नगर के वि0सभा क्षेत्र को जन-जाति क्षेत्र विभिन्न जन-जाति ग्राम जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ग्रामीण आन्तरिक सडकों का निर्माण कराये जाने,
6 नानकमत्ता वि0स0 क्षेत्र के नानकमत्ता उप तहसील नानकमत्ता में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना कराये जाने,
7 वि0सभा0 क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत नानकसागर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराये जाने,
8 नानकमत्ता में राय सिख भवन का निर्माण कराये जाने,
9. नानकमत्ता क्षेत्र में बहने वाली कैलाश नदी एंव दोहा नदी से बाढ़ कटने वाली भूमि को सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कराये जाने,
10. नानकमत्ता उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाय तथा तहसील भवन का निर्माण कराये जाने,
11. रा.उ.मा.विद्यालय ऐंचता उधमसिंहनगर का उच्चीकरण कराये जाने,

11. श्री फुरकान अहमद,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में पुरानी गंगनहर के पुल जो क्षतिग्रस्त है, स्वीकृत पुल का निर्माण तत्काल कराये जाने
2. जनपद हरिद्वार के पाउली गुज्जर तेलीवाला के पास रेलवे पुल का निर्माण कराये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा या मेहवउ में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

4. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर नगरपंचायत में पानी की टंकी व पाईप लाईन का निर्माण कराये जाने,

5. जनपद हरिद्वार के रामपुर व पाउली गुज्जर तेलीवाला योजना के अन्तर्गत पेयजल का टैंक व पाईप लाईन व सीवर का निर्माण किये जाने,

6. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ किये जाने,

7. प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान किये जाने,

8. जनपद हरिद्वार के पिरानकलियर विधान सभा में हकीमपुर तुरी से पुहाना ईकबालपुर की ओर सौलानी नदी पर सेतु एवं सड़क एवं सेतु का द्वितीय निर्माण का शासनादेश जारी किये जाने,

9. मदरसा बोर्ड से प्राप्त मदरसे को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने,

10. जनपद हरिद्वार पिरान कलियर शरीफ को पांचवे धाम के रूप में घोषित किये जाने,

11. जनपद हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पिरान कलियर में सीवर लाईन बनाये जाने,

12. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ के वासिक मेले को सरकारी मेले घोषित किये जाने,

13. राज्य के सभी मुस्लिम एवं ईसाइयों के कब्रिस्तान व शमशान घाट की चारदीवारी का निर्माण किये जाने,

14. जनपद हरिद्वार के नदियों जैसे सौलानी नदी, रतमउ नदियों के किनारे पैचिंग, तटबन्ध निर्माण किये जाने,

15. जनपद हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध पिरानकलियर में बंद पड़ी नहर धनौरी से रूड़की तक नौकाविहार एवं कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,

16. जनपद हरिद्वार रूड़की में अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किये जाने,

17. विधान सभा पिरान कलियर व पिरान कलियर नगर पंचायत की बिजली कटौती बंद किये जाने,

18. पिरान कलियर विधान सभा के सभी गाँवों में पानी की टंकी व टैंक निर्माण कराये जाने,

19. पिरान कलियर विधान सभा में 1000 नये हैण्ड पम्प लगाये जाने,

20. किसानों के गन्ने के मूल्य रु0 500 प्रति कुन्तल किये जाने,

21. पिरानकलियर विधान सभा के मगरूमपुर-मुस्तफाबाद में पालिटैक्निक खोले जाने,

22. पिरान कलियर विधान सभा भारापुर में बिजलीघर बनाये जाने,

23. पिरान कलियर नगर पंचायत में डिग्री कालेज खोले जाने,

24. पिरान कलियर विधान सभा ईमलीखेड़ा में रा0क0इ0कालेज खोले जाने,

25. पिरान कलियर विधान सभा के राज्य योजना के लम्बित पड़े सभी मामलों में शीघ्र शासनादेश जारी किये जाने।

26. रुड़की तहसील को जिला घोषित किया जाय।

27. जनपद हरिद्वार व प्रदेश के सभी जिलों में ट्यूबवैल में बिजली फ्री दिये जाने,

28. घरेलू बिजली कनेक्शन में सरचार्ज माफ करने एवं बिजली के रेट कम किये जाने,

29. जी0टी0 रोड कोर कालेज से भारापुर से होते हुए शेक्खपुरी तक सड़क का निर्माण व रतमउ नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने,

30. दरियापुर से नागल पलुनी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

31. पिरान कलियर नगर पंचायत का सौंदर्यीकरण कराये जाने,

32. गुलाब शाह पीर राजकीय कन्या इन्टर कालेज के निर्माण के लिए बजट जारी किये जाने,

33. रामपुर पंचायत में बिजली घर बनाये जाने,

34. पाडली गुज्जर में राजकीय इन्टर कालेज स्वीकृत किये जाने

35. हरिद्वार रुड़की रोड कोर कालेज के सामने से पिरान कलियर तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

36. मदरसों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ते हुए उनका आधुनिकरण किये जाने तथा मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों को अन्य बोर्डो के समान समकक्षता प्रदान किये जाने,

37. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में निःशुल्क जूता एवं बैंक उपलब्ध कराये जाने,

38. उर्द शिक्षकों की भर्ती किये जाने,

39. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई एवं बेरोजगारी को रोकने के लिए ठेस योजना बनाये जाने,

40. जनपद हरिद्वार रुड़की पिरान कलियर व धनौरी व रुड़की तक लाईट लगाने का कार्य किये जाने

41. जनपद हरिद्वार में कोर कालेज से पिरान कलियर व बेडपुर चोक तक लाईट लगाये जाने,

42. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के मुर्कपुर से बेडपुर रोड से धनोरी की ओर नाला का निर्माण किये जाने

43. पिरान कलियर नगर पंचायत में अन्य स्थानों पर जल निकासी का कार्य व नाला निर्माण कार्य किये जाने

44. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर से बेडपुर चौराहे तक मेन रोड का चौड़ीकरण एवं डिवाईडर का निर्माण कार्य किया जाय।

45. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में बस स्टेन्ड का निर्माण कार्य किये जाने

46. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में पार्किंग का निर्माण कार्य किये जाने

47. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के रामपुर नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य किये जाने

48. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के ईमली खेड़ा नगर पंचायत में सीवर लाईन निर्माण का कार्य किये जाने

49. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के पाडली गुज्जर नगर पंचायत में सीवर लाईन का निर्माण कार्य किये जाने

50. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में स्वीकृत यूनानी मेडिकल कालेज के लिए बजट जारी कर धरातल पर कार्य शुरू कराये जाने,

51. विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में दरगाह शरीफ का सौन्दर्यीकरण किये जाने।

12. श्री खुशाल सिंह अधिकारी, "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

01. लोहाघाट नगर के नजूल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने

02. लोहाघाट में युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द जी के नाम से मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,

03. कृषि विज्ञान केन्द्र लोहाघाट में पन्तनगर कृषि महाविद्यालय खोले जाने लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने

04. लोहाघाट के उप जिलाचिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने,

05. लोहाघाट के पालिटेक्निक कालेज का उच्चीकरण कर इंजीनियरिंग कालेज बनाये जाने

06. लोहाघाट में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने

07. लोहाघाट के ग्राम सुतेड़ा से ग्राम जमरेड़ी कान्देश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

08. लोहाघाट के ग्राम सभा खतेड़ा व गंगनौला में पेयजल योजना का निर्माण कार्य किये जाने,

09. लोहाघाट के खुनाबोरा में पेयजल योजना बनाये जाने,

10. लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध झूलाधुरी मन्दिर में रोपवे ट्रोली लगाये जाने,

11. लोहाघाट के चौकड़ी तोक से कोयाटी खालसा तक सड़क निर्माण किये जाने

12. लोहाघाट के ग्राम चामी कुनालेश्वर से मन्दिर तक सड़क निर्माण किये जाने

13. लोहाघाट के किमतोली रैसाल मोटर मार्ग से रूद्रमाली, पोखरी तक मोटर मार्ग सुधारीकरण।

14. लोहाघाट के ग्राम सभा पऊ से सिमल घांघल होते हुए गला गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।

15. लोहाघाट के ग्राम पंचायत बमनकुड़ा से मौड़ा गांव तक सड़क निर्माण किये जाने

16. बाराकोट में अतिथि विश्राम गृह का निर्माण किये जाने

17. बाराकोट में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,

18. बाराकोट के पम्दा में पेयजल योजना बनाये जाने,

19. पाटी के रीठा साहिब में डिग्री कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,

20. पाटी के केदारथान से चमतौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

21. पाटी के ग्राम सभा चौंड़ासौन से पुनौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने,

22. पाटी के ग्राम पंचायत चौड़ाकोट के शुवामौनी मुख्य सड़क से डुंगरा तोक तक सड़क निर्माण किये जाने,

23. बाराकोट के बैडा बैडवाल के तोक चमनपुर भनखोला के विस्थापन किये जाने,

24. बाराकोट के प्रसिद्ध मा भगवती मन्दिर लडीधुरा को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने

25. पाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध फटकशीला मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने

26. पाटी लधियाघाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध मा शीला देवी मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने

27. पाटी के रीठखाल क्षेत्र के प्रसिद्ध मन्दिर को पर्यटन मानचित्र में जोड़ते हुए विकसित किये जाने

28. पाटी के कानाकोट मोटर मार्ग से तल्लीलड़ी, झाडसिरतोली छिल्काछीना मोटर मार्ग को जोड़ते हु विकासित किए जाने

29. पाटी के बिनवाल गाव से कलियाधुरा छीडाखान मोटर मार्ग 24.03. 2008 की स्वीकृति को यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने

30. पाटी के रीठासाहिब में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने

31. पाटी के सिनलखेत में भू कटाव को रोकने हेतु चैक डैम का निर्माण किये जाने

32. पाटी के धरसो लिंक रोड़ से भीमराडा के अधीनकर कैंडाईजर तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने

33. बाराकोट में ग्राम पव्वली से जिन्दी काकड तक मोटर मार्ग को लोनि0वि0 के अधीन किये जाने

34. पाटी के ग्राम मानर में हास्पिटल तिराहे से बूगामाजर तक सड़क निर्माण किये जाने

35. पाटी के रीठामिढार मोटर मार्ग से लिंक रोड कटिंग एवं सुधारीकरण कार्य किये जाने

36. पाटी के ग्राम परेवा में तोक कापडा थी से मूल ग्राम मन्दिर तक सडक निर्माण किये जाने,

37. बाराकोट के तोक खलनियां, बन्जाबाड, अतखड़ा में मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

38. बाराकोट के ग्राम पंचायत तडीगांव में ग्राम डोबा-खाली तोक में सडक निर्माण किये जाने,

39. पाटी के कानाकोट से तल्ली लडी अवशेष सडक निर्माण कार्य किये जाने

40. विकास खण्ड मुख्यालय पाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी का उच्चीकरण किये जाने

41. पाटी के ग्राम पंचायत चौडासौन में बिलगडा तोक में भू कटाव हेतु चेक डेम निर्माण किय जाने

42. पाटी के ग्राम देवली से नौलिया गांव तक सडक मार्ग का निर्माण किये जाने

43. पाटी के न्याय पंचायत चौड़ामेहता में पशुचिकित्सालय की स्थापना किये जाने

44. लोहाघाट के छमनियाचौड को मिनी फिल्म सिटी के रूप में विकसित किये जाने

45. लोहाघाट के चौखामबाबा के चमुदेवता मेले को राजकीय मेला घोषित कर पर्यटन विभाग से विकसित किये जाने।

13. श्री सुमित हृदयेश,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. अंतराष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर एवं सफारी बनाये जाने,
2. स्मैक मुक्त हल्द्वानी पर युद्धस्तरीय कार्य किये जाने,
3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क जांच एवं बहुउद्देशीय कैम्प लगाये जाने।
4. नजुल नीति के क्रियान्वयन का सरलीकरण किये जाने, जिससे कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके,
5. सुशीला तिवारी अस्पताल को एम्स की तर्ज पर उच्चीकृत कराने तथा अस्पताल के समीप तीमारदारों व रोगियों के लिये विश्रामालय का निर्माण कराये जाने,
6. हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था का सुव्यवस्थित करने के लिये तथा जाम से निजात पाने के लिये धरातलीय योजना का निर्माण कराये जाने,
7. तहसील परिसर में बहुउद्देशीय भवन, जिसमें तहसील, ट्रेजरी एवं अन्य सरकारी दफ्तरों की स्थापना तथा व्यवसायिक भवन व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराये जाने,
8. बाजार क्षेत्र में मातृ शक्ति एवं व्यापारियों की सुविधा के लिये अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित (हाईटैक) शौचालय एवं छोटी पार्किंगों की व्यवस्था कराये जाने,
9. बरसाती नाले से जान-माल की सुरक्षा हेतु उचित कार्य कराये जाने,
10. बेरोजगारों तथा कर्मचारियों,आउटसोर्स की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने।
11. सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिये विद्यालय भवनों का सुदृढ़ीकरण करने तथा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कराने महाविद्यालयों में कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने,

12. दमुवाढूंगा वासियों की भूमि का नियमित कर एवं श्रमिक एवं मलिन बस्तियों- काठगोदाम, राजेन्द्र नगर, आजाद नगर का मालिकाना हक एवं इन बस्तियों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र तथा विद्यालयों का उच्चीकरण कराये जाने,
13. भवननिर्माण की दरों को सस्ता करने के लिए गौला से निकलने वाले खनिज की रायल्टी को न्यूनतम दर तक लाने, जिससे कि गौला से जुड़े कारोबारियों को भी व्यवसाय करने में सुविधा मिल सके।

14. श्रीमती अनुपमा रावत,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार की विधानसभा क्षेत्र एवं 35- हरिद्वार ग्रामीण में एक उच्च राजकीय चिकित्सालय खोले जाने एवं जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र 35-हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम भोगपुर, लालढांग पी0एच0सी0 का उच्चीकरण किये जाने,
2. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा 2021 की घोषणा अनुसार सिडकुल क्षेत्र का विस्तारीकरण एवं 70 प्रतिशत स्थानीय नव जवानों को रोजगार दिये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में कुम्भ क्षेत्र का विस्तारीकरण कर बड़ी सड़कों का निमार्ण किया जाए एवं भोगपुर से कांगड़ी तक पुल का निर्माण किये जाने,
4. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में गंगा नदी पर तटबंधो का निर्माण किये जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूर्णरूप से ग्रामीण होने के कारण एक तहसील की स्थापना किये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में ज्यादातर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता है इस हेतु बाउंडरी वाल व तारबाड़ किये जाने,
7. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में स्ट्रीट लाईट पूर्णरूप से लगाई जाने,
8. हरिद्वार ग्रामीण में दो खेल के मैदानों का निर्माण किये जाने,
9. हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम बादशाहपुर में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाय एवं महाविद्यालय का नाम भारत रत्न डा .भीमराव अम्बेडकर के नाम रखे जाने,
10. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लालढांग में इंटरनेट बूस्टर लगवाये जाने,
11. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में रविदास मंदिर व बाल्मिकी मंदिरों का सौन्दर्यकरण किये जाने,
12. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े ट्यूबवैल संचालित किये जाने एवं नये ट्यूब वैल निर्माण किये जाने,

13. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ओवर हेड हेतु टैंक बनाये जाने,
14. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवैल व बिजली बिल माफ किये जाने,
15. हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में लालढ़ांग से कोटद्वार तक राज्य मार्ग के तर्ज पर सड़क का चौड़ीकरण कर सड़क निर्माण किया जाये व चिल्लरखाल तक बनाये जाने,
16. लालढ़ांग में रवासन नदी पर बड़ा जलाशय का निर्माण किये जाने,
17. गन्ने का प्रति दो सप्ताह में भुगतान किये जाने एवं नये गन्ने खरीद केन्द्र खोले जाने।
18. प्रसिद्ध टिहरी बांध विस्थापित पथरी के लोगों पथरी, गैंडीखता वन गुज्जरों, पुरुषोत्तम नगर, कमला नगर वासियों का जमीनों का मालिकाना अधिकार दिये जाने,
19. हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम डालपुरी, ग्राम चण्डीघाट, ग्राम पथरी, गैंडीखाता के वनगुज्जरों के ग्राम राजस्व घोषित किये जाने
20. ग्राम धनपुरा, बिस्सुपुरा में हाईटेंशन बिजली तार हटाये जाने
21. ग्राम जमालपुर कला में बसी समस्त कालोनी में नाली निर्माण किये जाने।
22. हरिद्वार ग्रामीण के प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह हेतु सरस भवन बनाये जाने
23. हरिद्वार ग्रामीण में इच्छुक ग्रामों से प्रस्ताव लेकर ओपन जिम की स्थापना किये जाने
24. ग्राम कांगड़ी के गंगा तट पर तटबन्ध का निर्माण किये जाने
25. ग्राम मीठीबेरी से ग्राम बढ़ियानवाला तक नदी का कटाव रोकने हेतु आर0सी0सी0 दिवार निर्माण कार्य किये जाने,
26. ग्राम इक्कड़ कला से ग्राम इब्राहीमपुर होते हुए ग्राम अलीपुर तक इन्टर लांकिंग टाईल्स सड़क का निर्माण कार्य (लगभग 09 कि0मी0) किये जाने
27. न्याय पंचायत लालढांग से मीठीबेरी, पीली पड़ाव, खोखरा होते हुए बाहरपीली, श्यामपुर, कांगड़ी एवं गाजीवाली तक इन्टर लांकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य (लगभग 09 कि0मी0) किये जाने,
28. ग्राम रानी माजरा में कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जाने,
29. हरिद्वार ग्रामीण के लालढांग में सन् 2015 में स्थापित आई0टी0आई0 को पुनः स्थापित किये जाने,
30. ग्राम फेरूपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने,
31. जिला हरिद्वार डिविजन मे वन गुज्जर को लोपिंग परमिट दिलाने हेतु एवं हरिद्वार डिविजन के अन्तर्गत वनों में निवासरथ थे, प्रत्येक परिवारों का सम्मुचित पुर्नवास किये जाने,
32. ग्राम सुकरासा में नव सेतु पुल का निर्माण किये जाने,
33. ग्राम रसूलपुर से लालढांग गांधी चौक की ओर नव सेतु/पुल का निर्माण कार्य किये जाने,

34. ग्राम पथरी में टिहरी बांध विस्थापतियों की समस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण/सुधारीकरण का कार्य किये जाने,
35. ग्राम पथरी में टिहरी बांध विस्थापित ग्रामों में टी.एच.डी.सी. द्वारा सामुदायिक भवनों, पार्कों, मंदिरों के निर्माण/मरम्मत/सुद्रढ़ीकरण कार्य किये जाने,
35. विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण की समस्त रामलीलाओं को संस्कृतिक विभाग द्वारा अनुदान राशि प्रदान किये जाने।

15. श्री लखपत बुटोला,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद-चमोली के 04 बद्रीनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पालीटैक्निक पोखरी की बिल्डिंग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जानें,
2. विकाखण्ड पोखरी में लो0नि0वि0 की जिलासू से आली मोटर मार्ग का अधूरा कार्य निर्माण जल्दी पूरा किये जाने,
3. विकासखण्ड दशोली में ईरानी (पी0एम0जी0एस0वाई) की सड़क एवं पुल का कार्य शीघ्र कराये जाने,
4. विकासखण्ड पोखरी में एक सरकारी बैंक को खोले जाने ,
5. विकासखण्ड पोखरी में रा0इ0का0 उडामाण्डा एवं राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी की बिल्डिंग को स्वीकृति देते हुए नया भवन बनाये जाने,
6. पोखरी विकासखण्ड कनकचौरी से कार्तिकस्वामी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
7. पोखरी विकासखण्ड में धोतीधार सड़क का निर्माण शीघ्र कराये जाने,
8. जोशीमठ विकासखण्ड में दुमक कलकोट सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने
9. सी0एच0सी0 पोखरी को एवं जोशीमठ को उप चिकित्सालय बनाये जाने,
10. बद्रीनाथ विधानसभा की हर गांव में एक खेल मैदान का निर्माण किये जाने,
11. बद्रीनाथ विधानसभा की सभी सड़कों को पक्का एवं डामरीकरण किये जाने,
12. बद्रीनाथ विधानसभा की सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती किये जाने,
13. बद्रीनाथ विधानसभा में जंगली जानवरों की रोक-थाम के लिए उपाय किये जाने।

16. श्री विरेन्द्र कुमार,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. महंगाई कम करने हेतु डीजल, पेट्रोल पर तय कर कम किये जाने,
2. प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देना सुनिश्चित किये जाने
3. अनु0जाति/अनु0जनजाति/ओ0बी0सी0 की सरकारी सेवाओं में बैक लाग की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने
4. सम्पूर्ण राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किये जाने,
5. प्रदेश में पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि भाषाओं की पृथक-पृथक एकेडमी का गठन किये जाने
6. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को यथाशीघ्र योग्यतानुसार रोजगार दिया जाने,
7. प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
8. प्रदेश के कैंसर से ग्रस्त सभी मरीजों का राज्य सरकार द्वारा मुफ्त ईलाज किये जाने,
9. झबरेड़ा विधान सभा में सुचारू विद्युत वितरण हेतु बिजली घरों का आधुनिक रूप से उच्चीकरण किये जाने,
10. झबरेड़ा विधान सभा में गरीब बच्चों हेतु उच्चीकृत आवासीय विद्यालय बनाये जाने,
11. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र कृष्णानगर में जल निकासी सुनिश्चित किये जाने,
12. झबरेड़ा विधान सभा में गन्ना शोध केन्द्र बनाया जाना सुनिश्चित किये जाने,
13. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान सुनिश्चित किये जाने,
14. ईकबालपुर फाटक पर ओवरब्रिज बनवाना सुनिश्चित किये जाने,
15. प्रदेश के किसानों को यूरिया व अन्य उर्वरक सामाग्री प्रदान किये जाने,
16. ईकबालपुर से खोताखेडी कमेलपुर रूड़की मार्ग का चौड़ीकरण व नव निर्माण कराये जाने,
17. झबरेड़ा विधान सभा में रोडवेज बसों का संचालन सुचारू किये जाने,
18. झबरेड़ा विधान सभा के कस्बा झबरेड़ा में मिनी स्टेडियन व पनियाला में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,

19. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत झबरेड़ा में रोड़वेज बस अड्डा बनाये जाने,

20. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बन्दरों के प्रकोप से जनता को हो रही परेशानियों के लिए उपाय किये जाने,

21. प्रदेश के वनों में आग लगने से रोकने हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने,

22. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत अस्पतालों का उच्चीकरण किये जाने,

23. विधान सभा झबरेड़ा में राजकीय तकनीकी महाविद्यालय बनवाये जाने,

24. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पूर्ण कराये जाने,

25. झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यायामशाला खुलवाये जाने,

26. झबरेड़ा विधान सभा की सभी खराब मोटर मार्गों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण करवाये जाने।

27. झबरेडा विधान सभ ग्राम सालियर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कराये जाने,

28. झबरेडा विधान सभा ग्राम भगतोवाली के निकट मानकपुर चौराहा झबरेडा में बाबा साहेब डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जी की विशालकाय प्रतिमा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत लगाये जाने,

29. झबरेडा विधान सभा के अन्तर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने,

30. झबरेडा विधान सभा में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत घोषित ग्राम लखनौता में तहसील की स्थापना किये जाने,

31. उत्तराखण्ड प्रदेश में पर्वतीय व मैदानी जिलों में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी में समानता लाने,

32. झबरेडा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गौवंश सरंक्षण के लिए गौशाला खोले जाने।

17. इंजी0 रवि बहादुर,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. बंजारेवाला से सुभाषगढ़ तक राजस्व जंगल व राजाजी नेशलन पार्क है। जंगल क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जंगली जानवरों से फसलों को बर्बादी की रोकथाम हेतु सोलर फेंसिंग की व्यवस्था किये जाने,

2. ज्वालापुर विधान सभा बरसाती नदियों वाला क्षेत्र है इसके अन्तर्गत जैसे कि सोलानी नदी, रतमऊ नदी, मोहदड़ो नदी, कन्या नदी तथा अन्य नदियां आती हैं। इनके लिए 100 किलोमीटर लम्बा पेचिंग कर तटबंध निर्माण व्यवस्था किये जाने,
3. ज्वालापुर विधान सभा के घाड क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिए 50-60 किमी दूर सिडकुल जाना पड़ता है उनके लिए घाड क्षेत्र में ही फैक्ट्री लगाकर रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
4. ज्वालापुर विधान सभा के घाड एवं खादर क्षेत्र में 50 बेड का अस्पताल का निर्माण किये जाने,
5. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में वन गुर्जरों के लिए बिजली, पानी, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
6. ज्वालापुर विधान सभा के घाड क्षेत्र के वन आरक्षित क्षेत्र में गेहूं तैयार हो रहा है तथा गर्मियों के मौसम में आग बहुत अधिक लगती है जिसके कारण फसलों के साथ-साथ गांव में बनाए गए छप्पर भी जलकर राख हो जाते हैं। आग से बचाव के लिए अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए देहरादून, रुड़की आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। थाना बुग्गावाला परिसर में ही अग्निशमन वाहन की व्यवस्था किये जाने,
7. ज्वालापुर विधान सभा के घाड क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
8. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में बस की व्यवस्था थी लेकिन बंद कर दी गयी। घाड क्षेत्र को रुड़की, रोशनाबाद आदि से जोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था लागू किये जाने,
9. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी मिनी स्टेडियम नहीं होने से बच्चों को खेलकूद में परेशानी होती है। ज्वालापुर विधान सभा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
10. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के बेगमपुर औद्योगिक क्षेत्र को सिडकुल में शामिल किये जाने,
11. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में कुंभ निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन धनौरी सिडकुल मार्ग जो बहादराबाद पुरानी गंगनहर करी दाएं पटरी पर 10 किमी लम्बाई दो लेन चौड़ी स्वीकृत किये जाने,

12. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही टंकियों में आ रही खामियां तथा ग्राम पीतपुर में बनाई गई टंकियों में दरार आने व कई गांवों में ठीक टंकियां तोड़कर दुबारा बनाये जाने,
13. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीमा क्षेत्र के बिहारीगढ़-हरिद्वार सड़क का चौड़ीकरण किये जाने तथा क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण किये जाने,
14. ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में राजा जी नेशनल पार्क से लगी हुई सीमा पर दीवार निर्माण कार्य कराये जाने।

18. श्री शहजाद

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर मे बेरोजगारी के स्थाई निवारण हेतु औद्योगिक ईकाईयां स्थापित किये जाने व क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत नगर पंचायत सुल्तानपुर में एक खेल का मैदान (मिनी स्टेडियम) बनाये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत ग्राम महाराजपुर कलां में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इण्टरमीडिएट में उच्चीकृत किये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत नगर पंचायत सुल्तानपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत लक्सर में महिला पॉलिटेक्निक खोले जाने,
7. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में पानी की निकासी का स्थाई समाधान किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में स्थित सी0एच0सी0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थाई रूप में नियुक्ति किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में गौशाला खोले जाने,
10. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत श्री रविदास और महर्षि वाल्मिकी स्थलों का सौन्दर्यकरण किये जाने,

11. राज्य में विधवा व वृद्ध महिलाओं का उपचार निःशुल्क किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में शमसान घाट में छत्री व कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव के शमसान घाट व कब्रिस्तान का सौन्दर्यकरण किये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त भवन, शौचालय बालक व बालिका, व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक क्षतिग्रस्त मार्गों का पुननिर्माण किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत आने वाले सभी गरीब परिवारों एवं किसानों का बिजली बिल माफ किये जाने,
18. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत समस्त पुलियाओं का पुनर्निर्माण बरसात से पहले कराये जाने,
19. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में चिकनगुनियां, डैंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने,
20. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में योगा केन्द्र खोले जाने,
21. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में ट्रेफिक जाम से निपटने के लिये ठोस कदम उठाये जाने,
22. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत तालाबों का सौन्दर्यकरण एवं चारों ओर रैलिंग की व्यवस्था किये जाने
23. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के प्रत्येक गांव में खेल के मैदान की व्यवस्था किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर व नगर पालिका परिषद लक्सर में पार्क बनाये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत ग्राम अकबरपुर ऊद में स्थित राजकीय आई0टी0आई0 में ट्रेड बढाये जाने।

19. श्री उमेश कुमार,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. प्रदेश में लगाये जा रहें स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर तत्काल रोक लगाई जाने,
2. प्रदेश में सशक्त भू-कानून को तत्काल लागू किये जाने,

3. पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा के लिये तत्काल आवास तथा बीमा योजना शुरु किये जाने,
4. प्रदेश में कार्यरत राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने,
5. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को नियमितिकरण किये जाने,
6. दुर्गा कालोनी, भगेड़ी, जलालपुर आदि में लगभग 30000 की आबादी आर्मी का गेट होने व समय पर न खुलने से दिन रात प्रभावित रहती है। तत्काल रास्ता खुलवाये जाने,
7. प्रदेश में किसानों की समस्यों को देखते हुए तत्काल किसान आयोग का गठन किये जाने,
8. किसानों के गन्ने के मूल्य में 500 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि किये जाने,
9. उत्तर-प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखण्ड के किसानों को बिजली मुफ्त दिये जाने,
10. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों का तत्काल उच्चीकरण किये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर से दल्लावाला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने,
12. इकबालपुर शुगर मिल के किसानों का गन्ने का पुराना बकाया भुगतान शीघ्र किये जाने,
13. प्रदेश के जनपद हरिद्वार में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
14. आंगनबाडी, भोजन माता, ग्राम प्रहरी के पद पर कार्यरत् कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने,
15. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर में सभी विषय के अध्ययन को जोड़े जाने,
16. जनपद हरिद्वार के समस्त ब्लॉकों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2017 से आतिथि तक जिलाधिकारी हरिद्वार की निगरानी में समिति गठित कर जांच किये जाने,
17. राज्य में विधवा/वृद्धा/विकलांग पेंशन के लिए आय का मानक 1500 से बढ़ाकर 5000 रूपये किये जाने,
18. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत आने वाले समस्त श्री रविदास मंदिर एवं वालमीकि मंदिर का सौन्दर्यकरण किये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग में पुनः निर्माण कार्य किये जाने,
20. पी0आर0डी0 मे कार्यारत् कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करते हुए सी0एल0 तथा ई0एल0 की व्यवस्था किये जाने,
21. प्रदेश में कार्यारत् अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने।

20. श्री संजय डोभाल,

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. हनुमान चट्टी से निसणी तक सड़क निर्माण स्वीकृत किये जाने,
2. गढ़वाल गाढ़ से कोट तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
3. ग्राम सभा नन्दगांव से हरिजनबस्ती होते हुए धार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
4. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड से गोरूड़ गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
5. ग्राम सभा भन्साड़ी रोड से गुर्मसु तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
6. ग्राम सभा कुर्सिल से फूलधार तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
7. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड से धारकोट बट्टा तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
8. कुपड़ा रोड से त्रिखली गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
9. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ मुख्य रोड से बड़ेथी बन चौरा मोटर मार्ग से मोरगी गांव तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
10. पोण्टी मोल्टा रोड से ग्राम सभा पोण्टी तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
11. राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम सभा बाडिया तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
12. ग्राम पाली में रूददी खड्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
13. राजकीय इण्टर कालेज कुथनौर में इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के पद स्वीकृत किये जाने,
14. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कोट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ में महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति किये जाने,
15. चार धाम यात्रा के दौरान यात्रा को सुरक्षित करने श्रद्धालुओं को सभीत रह की व्यवस्था उपलब्ध कराने और प्रदेश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
16. जो जल श्रोत सूख चुके हैं उनको रीचार्ज करने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
17. आपदा के दौरान जिनकी परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिये जाने,
18. प्रदेश में कृषि उपज को बढ़ाये जाने एवं किसानों की आय को दोगुना किये जाने हेतु नई कृषि नीति बनाये जाने,
19. विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मुख्य रोड सेनेरीदिकोली तक सड़क स्वीकृत किये जाने,
20. विकास खण्ड डुण्डा के ब्रह्मखाल में उप तहसील की स्थापना किये जाने।